BCCI BULLETIN

Vol. 54 | AUGUST 2023 | No. 8

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

77वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 15 अगस्त 2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में श्री पी. के. अगवाल, अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर 77 वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चन्द्रयान-3 द्वारा विश्व इतिहास रचने पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई एवं अभिनंदन - चैम्बर अध्यक्ष

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने बताया कि 23 अगस्त 2023 का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से देशवासियों विशेष कर व्यवसायी समाज काफी प्रसन्न हैं। चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अन्तरिक्ष प्रोजेक्ट है, इसके जरिये भारतीय वैज्ञानिक चाँद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने में सफल होंगे।

श्री अग्रवाल ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग में सहयोग के लिए चंद्रयान-3 के पूरी टीम एवं भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (इसरो) के वैज्ञानिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर चैम्बर प्रांगण में एक बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री प्रदीप कुमार, श्री आशीष शंकर, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री राजेश जैन, श्री सुबोध जैन, श्री आशीष प्रसाद उपस्थित थे।

बिहार को मिला रिलिजियस दूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द इयर अवार्ड

बिहार को प्रतिष्ठित रिलिजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द इयर अवार्ड मिला है। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट 2023 में बिहार ने यह प्रतिष्ठित साल का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल पुरस्कार जीता बिहार पर्यटन के सचिव अभय कुमार सिंह और निदेशक विनय कुमार राय ने इस पुरस्कार को बिहार पर्यटन के लिए गौरव का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग लगातार नए-नए अभिनव प्रयोगों के जरिए पर्यटन स्थलों में सुविधाओं और आकर्षण केन्द्रों का विस्तार कर रहा है। उसी का परिणाम है कि यह पुरस्कार राज्य को प्राप्त हुआ है। विभाग आगे भी लगातार अपने पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करता रहेगा।

(साभार : आई नेक्स्ट, 3.8.2023)

अनुदान दावा तिथि विस्तार की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ व उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक को अनुरोध पत्र लिखा है। बीसीसीआई अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल द्वारा भेजे गए पत्र में उद्योगों को मिलने वाले अनुदान, प्रोत्साहन के अनुदान दावा से संबंधित आवेदन की तिथि का विस्तार नवम्बर 2023 तक करने का आग्रह किया गया है।

उन्होंने कहा बीसीसीआई की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि उद्यमियों के लिए जुलाई, अगस्त व सितम्बर में आयकर सहित कई वैधानिक कार्य व पर्व-त्योहार होते हैं। ऐसे में उद्यमियों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.8.2023)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

दिनांक 23 अगस्त, 2023 को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चन्द्रयान–3 की सफल लैंडिंग पूरे भारतवासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हिन्दुस्तान चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया है। **चन्द्रयान की सफल लैंडिंग के लिए भारतीय अंतरीक्ष अनुसंधान एजेंसी (इसरो) के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई एवं अभिनन्दन।** चन्द्रयान की सफल लैंडिंग से वैज्ञानिक चन्द्रमा के बारे में ज्यादा जानकारी पा सकेंगे।

चन्द्रयान की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक अब अगले मिशन आदित्य एल–1 पर काम कर रहे हैं जिससे सूरज का अध्ययन किया जायेगा।

जीएसटी संग्रह जुलाई माह में 1.65 लाख करोड़ रहा। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले जीएसटी संग्रह में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ो के अनुसार जुलाई माह में जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 29,773 करोड, एसजीएसटी के रूप में 37,623 करोड, आईजीएसटी 85,930 करोड़ रूपये वसूले गये। अधिभार यानी सेस मद में 11,779 करोड़ रूपये की वसूली हुई। वित्त मंत्रालय के ऑकड़ों के मुताबिक जुलाई माह में कई राज्यों में होने वाले जीएसटी संग्रह में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी रही। जुलाई माह में उत्तर प्रदेश के जीएसटी संग्रह में 24 प्रतिशत, बिहार में 18 प्रतिशत, हरियाणा में 17 प्रतिशत, पंजाब में 15 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 23 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 17 प्रतिशत तो दिल्ली में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी रही।

कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत सबसे ज्यादा मक्का प्रसंस्करण इकाई को सहायता, फल–सब्जी प्रसंस्करण को सहायता दूसरे स्थान पर है। इसलिए बिहार में मक्का प्रसंस्करण इकाई लगाने में निवेशक ज्यादा रूचि ले रहे हैं।

इस वर्ष बिहार सरकार ने सात फसलों से संबंधित अनुदान हेतु 14 करोड़ रूपये जारी किये हैं।

व्यक्तिगत निवेशकों के लिए लागत राशि का 15 प्रतिशत और किसान उत्पादक संगठनों को 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जायेगा। राज्य में सितम्बर 2022 से अबतक 125 करोड़ रूपये लागत वाली 18 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ से एवं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौंडरीक से अनुरोध किया है कि उद्योगों को मिलने वाले अनुदान प्रोत्साहन के लंबित दावा आवेदन की तिथि को विस्तारित कर नवम्बर 2023 किया जाय।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 एवं बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत राज्य में लगने वाले उद्योगों के लिए अनुदान प्रोत्साहन का प्रावधान है। परन्तु समय पर उद्योगों को विभाग की ओर से भुगतान नहीं मिलने के कारण यह भुगतान लंबित होता गया और आज की तारीख में स्थिति यह हो गयी है कि इसके तहत उद्यमियों का बकाया सरकार पर 2 लाख से 20 करोड़ रूपये तक हो गया है।

वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बैंक ऋण वृद्धि में सालाना आधार पर गिरावट आयी है। RBI के ऑकड़ों से यह बात स्पष्ट होती है।

RBI के ताजा आंकड़ों के अनुसार जून में मध्यम उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण में 13.2 प्रतिशत (पिछले साल 47.8 प्रतिशत) और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को दिये गये ऋण में 13 प्रतिशत (एक साल पहले 29.2 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी हुई।

जून के अंत में मध्यम उद्योगों का सकल बैंक ऋण बकाया 2,63,440 करोड़ रूपये था जो पिछले साल जून में 2,32,776 करोड़ रूपये था। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के मामले में जून में बकाया ऋण 6,25,625 करोड़ रूपये रहा, जो 2022 की समान अवधि में 5,53,675 करोड़ रूपये था। मई में मध्यम उद्योगों को दिया गया ऋण 18.9 प्रतिशत और सूक्ष्म व लघु उद्योगों को दिया गया ऋण 9.5 प्रतिशत बढ़ा।

प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना मृत्यु पर प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 2 लाख रूपये अनुदान मिलेगा। अभी तक यह अनुदान राशि एक लाख रूपये थी। इस प्रस्ताव की मंजूरी कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में लिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्ण अपंगता पर 75 हजार की जगह 1 लाख और स्थायी आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपये की जगह 50 हजार रूपये मिलेंगे। इस योजना के दायरे में करीब 40 लाख प्रवासी मजदूर आयेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी का यह प्रयास प्रवासी मजदूरों के प्रति अच्छी सोच का प्रतीक है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस अनुदान की राशि में और बढ़ोत्तरी की जाय।

माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि आगामी तीन चार महीनों में सरकार ड्राई पोर्ट की व्यवस्था कर देगी। इससे राज्य में तैयार होने वाले उत्पादों की खरीद बिक्री व निर्यात में सहायता मिलेगी। **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यही मांग लगातार की जाती रही है ।**

हमारे लिए खुशी की बात है कि बिजली के मामले में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार में 7000 मेगावाट बिजली की खपत है जिसमें 6700 मेगावाट की आपूर्ति NTPC कर रही है। बाढ़ NTPC के स्टेज–1 के दूसरी युनिट के चालू होने से 7100 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी।

जीडीपी सेक्टर में बिहार ने 2022–2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। बिहार की वृद्धि दर 10.64 प्रतिशत रही जो देश में सर्वाधिक है। पिछले दिनों असम के गुवाहाटी में 7–11 अगस्त, 2023 की बैठक में बिहार के सम्बन्ध में यह आंकड़ा सार्वजनिक किया गया। बिहार सरकार के कुशल प्रबन्धन से ही यह शानदार प्रदर्शन हो पाया है।

सादर,

आपका

पी. के. अग्रवाल

अध्यक्ष

पत्रकार सुबोध नंदन की पुस्तक के लोकार्पण पर पहुँचे लेखक व बुद्धिजीवी

बिहर के पर्व-त्योहार और खान-पान पुस्तक को युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए : राज्यपाल

राजभवन में सोमवार 31.8.2023 को पत्रकार व लेखक सुबोध कुमार नंदन की चौथी पुस्तक "बिहार के पर्व त्योहार और खानपान" का लोकार्पण किया गया। पुस्तक का लोकार्पण राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया।

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सुबोध नंदन की चारों पुस्तकें बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक परपराओं, रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक मेलों और धार्मिक धरोहरों के लिए उपयोगी हैं। इस पुस्तक को खासकर युवा पीढ़ी को पढ़नी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि समाचार पत्रों में सामाजिक खबरों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता है। सामाजिक खबरों को किसी कोने में छोटी खबर के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता है। वहीं अपराध, लूटपाट, चोरी और बलात्कार जैसी खबरों को प्रमुखता दी जाती है। यह सही है कि अखबारों की अपनी कुछ बंदिशें भी है। इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश चंद्र तलरेजा, राम लाल खेतान, संपादक, अजय कुमार के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे।

(साभार : दैनिक भास्कर, 1.8.2023)

बिहार में निवेश की अपार संभावनाएँ

उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने जापान से आए प्रतिनिधमंडल से बिहार में निवेश की अपील की। उद्योग विभाग सभागार में शनिवार दिनांक 5.8.2023 को हुई वार्ता में उन्हें बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं निवेश के लिए आमंत्रित किया। वार्ता के दौरान जापानी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत और बिहार के साथ जापान का वर्षों पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में जापानी कंपनियों के लिए बिहार में निवेश की अपार संभावनाएँ हैं।

इस दौरान अपर मुख्य सचिव संदीप पॉन्डरिक, उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित, जेट्रो के मुख्य महानिदेशक ताकाशी सुजुकी, जेट्रो निदेशक ताकू हिरोकी और सहायक निदेशक संदीप सिंह मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गेनाइजेशन (जेट्रो) के सदस्यों को मंत्री ने बताया कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, बायो फ्यूल और पर्यटन में अपार संभावनाएँ हैं।

अपर मुख्य सचिव संदीप पॉन्डरिक ने उन्हें गया-अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर पर निवेश के लिए आमंत्रित। वहाँ 1600 एकड़ में किए जा रहे कार्यो की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निवेश के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.8.2023)

पेट्रोलियम व्यवसाय जीएसटी की कम्पोजिशन स्कीम में शामिल हो

करदाताओं की शिकायत-निवारण के लिए राज्य स्तरीय शिविर की वाणिज्य कर मंत्री ने की शुरूआत

करदाताओं की शिकायत के निवारण के लिए हर महीने के प्रथम मंगलवार को लगने वाले राज्य स्तरीय शिविर का वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कारोबारियों की शिकायत पर विभाग के अधिकारियों को गंभीरता से विचार करना चाहिये। राज्य के विकास में करदाताओं की अहम भूमिका है। वहीं, उन्होंने करदाताओं से भी उचित और समय पर कर का भुगतान करने के लिए कहा। वाणिज्य कर सभागार में आयोजित शिविर में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने वैट के तहत रिटर्न दाखिल करने से छूट व पेट्रोलियम व्यवसाय को जीएसटी की कम्पोजिशन स्कीम में शमिल करने का मंत्री से अनुरोध किया। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस मामले पर यथोचित विचार करने का निर्देश दिया। विभाग के इस योजना के तहत हर महीने के प्रथम मंगलवार को राज्य स्तरीय, द्वितीय और चतुर्थ मंगलवार को वाणिज्य कर अंचल और प्रमंडल में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जायेगा। करदाता अपनी शिकायत इमेल द्वारा भी कर सकते हैं। मौके पर विभाग के सचिव सह आयुक्त डॉ. एस. प्रतिमा और संयुक्त आयुक्त अजिताभ मिश्र आदि उपस्थित थे।

(साभार : प्रभात खबर, 2.8.2023)

पान मसाला पर IGST का स्वतः रिफंड होगा बंद

तंबाकू व इसी तरह के अन्य उत्पादों पर भी अक्टूबर से बंद होगी स्वतः रिफंड प्रक्रिया

• ऐस दावों के लिए निर्यातकों को कर अफसरों से मिलना होगा • कर चोरी रोकने को उठाया गया है यह कदम • निर्यात किए जाने वाले माल के अधिक मूल्यांकन का होता है संदेह • मूल्यांकन ज्यादा दिखाए जाने से रिफंड की रकम में भी हो जाती है वृद्धि

पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के स्वत: वापसी की प्रक्रिया एक अक्टूबर से बंद हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार ऐसी सभी वस्तुओं के निर्यातकों को अपने रिफंड दावों के साथ क्षेत्राधिकार कर अधिकारियों से संपर्क करना होगा और उनकी मंजूरी लेनी होगी। ये बदलाव एक अक्टूबर से लागू होंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम का मकसद कर चोरी को

चैम्बर उपाध्यक्ष टाउन भेंडिंग कमिटी (TVC) की बैठक में शामिल हुए

दिनांक 03 अगस्त 2023 को पटना नगर निगम के नगर आयुक्त श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा. प्र. से. की अध्यक्षता में Town Vending Committee (TVC) की समीक्षात्मक बैठक उनके कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गयी।

बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन सम्मिलित हुए।

टाउन भेंडिंग कमीटी (TVC) की बैठक में शामिल चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन (बाँयीं ओर से प्रथम)।

रोकना है, क्योंकि हो सकता है कि निर्यात किए जाने वाले सामानों का मूल्यांकन अधिक किया गया हो। ऐसी स्थिति में आईजीएसटी रिफंड की राशि भी बढ़ सकती है। रिफंड की अधिकारियों द्वारा स्वयं जाँच, यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्यांकन सर्वोत्तम तरीके से किया गया है और सभी चरणों में करों का भुगतान किया गया है। जिन वस्तुओं के स्वत: आईजीएसटी रिफंड पर रोक होगी, उनमें पान मसाला, कच्चा तंबाकू, हुक्का, गुटखा, धूम्रपान मिश्रण और मेंथा तेल सहित अन्य वस्तुएँ शमिल हैं। ऐसी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत आईजीएसटी और उपकर लगता है। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 2.8.2023)**

ई-इनवॉइस
व्यवसाय करना हुआ सरल

क्या आप अपनी B2B आपूर्ति के लिए ई-इनवॉइस जनरेट कर रहे है?

माल या सेवाओं, या दोनों अथवा निर्यातों की B2B आपूर्ति करने वाले ऐसे करदाताओं* के लिए जिनका सकल वार्षिक टर्नओवर पिछले किसी वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ से अधिक है,

1 अगस्त, 2023 से ई-इनवॉइस जनरेट करना अनिवार्य कर दिया गया है।

ई-इनवॉइस पर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल द्वारा दिया गया विशिष्ट इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है

ई-इनवॉइस के लाभ

• एक समान प्रारूप • अनुपालन का कम भार • स्वत: पॉपुलेटेड जीएसटी रिटर्न • जीएसटी पोर्टल को स्वत: रिपोर्टिंग • प्रतिलेखन (Transcriptional) त्रुटियों में कमी • रेकन्सिलीऐशन हेतु खरीदारों के साथ ऑटो शेयरिंग • ई-वे बिल का स्वत: जनरेशन • इनवॉइस का निर्बाध हस्तांतरण • कम कागजी कार्यवाही।

*छूट प्राप्त श्रेणियों के करदाताओं का विवरण जानने के लिए (कृपया स्कैन करें)

अधिक जानकारी के लिए, अधिसूचना सं. 10/2023 केन्द्रीय कर दिनांक 10.05.2023 के साथ पठित मुख्य अधिसूचना सं. 13/2020 केन्द्रीय कर दिनांक 21.03.2020 को देखें।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
@cbic_india • @cbicindia • @cbicindia • @CBIC INDIA • @cbic • www.cbic.gov.in

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.8.2023)

जीएसटी संग्रह जुलाई में 11% बढ़कर 1.65 लाख करोड़ हुआ

जीएसटी संग्रह जुलाई माह में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 1,65,105 करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। एक साल पहले जुलाई में जीएसटी संग्रह 1,48,995 करोड़ रुपये था। वहीं जून 2023 में 1,61,497 करोड़ रुपये था। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से पाँचवीं बार जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि जुलाई 2023 में सकल जीएसटी संग्रह में केन्द्रीय जीएसटी 29,773 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 37, 623 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 85,930 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 41,239 करोड़ रुपये सहित) है। उपकर 11,779 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 840 करोड़ रुपये सहित) रहा। घरेलू लेनदेन से राजस्व 15 प्रतिशत अधिक रहा।

चालू वित्त वर्ष का दूसरा बड़ा संग्रह

माह	2022	2023
मार्च	142095	160122
अप्रैल	167540	187035
मई	140885	157090
जून	144616	161497
जुलाई	148995	165105

राज्य	जुलाई, 22	जुलाई, 23	वृद्धि
पश्चिम बंगाल	4441	5128	5%
झारखण्ड	2514	2859	4%
बिहार	1264	1488	18%

(नोट : सभी रुपये में)

निदेशक की निजी हैसियत से दी गयी सेवा पर नहीं लगेगा जीएसटी : वित्त मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों के निदेशकों की तरफ से निजी हैसियत में दी गयी सेवाओं पर कंपनियों को रिवर्स चार्ज प्रणाली (आरसीएम) के तहत जीएसटी काटने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि सिर्फ आधिकारिक हैसियत से किसी निदेशक द्वारा दी गयी सेवाएँ पर ही आरसीएम के तहत जीएसटी लगेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 2.8.2023)**

ई-चालान से राजस्व जुटाने में बिहार 5वें स्थान पर

• 4.59 लाख ई-चालान काटे गए जून तक राज्य में • बीते छह माह में बिहार ने इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की • ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग दोनों का प्रदर्शन बेहतर • ई-चालान में राज्य ने इस दौरान 138 करोड़ जुटाए

बिहार ई-चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में देश के पाँच राज्यों में शामिल हो गया है। बीते छह माह में बिहार ने इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। केन्द्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, बिहार ने पूरे देश में पाँचवा स्थान प्राप्त किया है। परिवहन मंत्रालय ने छह माह के राजस्व को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसमें बिहार ने पहले की अपेक्षा बेहतर काम किया है।

केन्द्र के आंकड़ों के अनुसार ई-चालान में बिहार ने इस दौरान 138 करोड़ रुपये जुटाएँ हैं। यही नहीं पूरे देश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान है। पिछले दिनों बिहार में ई-चालान काटने में तेजी आई है। जुर्माना वसूली भी काफी बढ़ी है। इसीलिए पहली बार उसने ई-चालान सेक्टर में इतना प्रभावी प्रदर्शन किया है। सुरक्षित यातायात को लेकर राज्य सरकार ने बीते दिनों हर क्षेत्र में सावधानी बरतनी शुरू की है। लोगों को जागरुक किया गया है। एक अभियान के रूप में इसे पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

ई-चालान काटने में शीर्ष 15 राज्यों में यूपी अव्वल : बिहार

चैम्बर के प्रतिनिधि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठकों में सम्मिलित हुए

PCC की बैठक में उपस्थित चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर (दाँयीं ओर से दूसरे)।

दिनांक 01 अगस्त 2023 एवं 16 अगस्त 2023 को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक श्री संदीप पौण्डरिक, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में हुई। उक्त बैठकों में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से कार्यकारणी सदस्य श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

ई-चालान काटने में देश के टॉप 15 राज्यों में शामिल हो गया है। जून तक 4.59 लाख ई-चालान काटे गए। इसमें ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। दोनों ने ही बेहतर प्रदर्शन किया है। देश के टॉप 15 राज्यों में यूपी, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छतीसगढ़, हिमाचल प्रदेश शामिल है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 4.8.2023)**

बंद औद्योगिक इकाइयों की जमीन बियाडा लेगी वापस

बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में बंद और नहीं काम कर रही इकाइयों के लिए बियाडा की नयी एग्जिट पॉलिसी 2023, आठ अगस्त से प्रभावी कर दी गयी है, इस नीति के तहत बंद यूनिट के उद्यमी बियाडा की तरफ से आवंटित भूखंड अथवा उसका कुछ अंश वापस कर सकते हैं। इस एग्जिट पॉलिसी का मकसद औद्योगिक क्षेत्रों में बंद पड़ी इकाइयों की भूमि पर दोबारा औद्योगिक उत्पादन शुरू करना है। एक्जिट पॉलिसी के तहत आवेदन करने की तिथि 31 अक्टूबर है। आवेदनों की समीक्षा बियाडा की एक समिति करेगी। एग्जिट पॉलिसी 2023 को लागू करने का फैसला बियाडा निदेशक पर्षद की 86वीं बैठक में लिया गया है। पिछले एक-दो साल में बियाड़ा ने 800 बंद इकाइयों के आवंटन रद्द किये हैं। इसमें कुछ मामले कोर्ट में और कुछ अपील में हैं। विभाग ने कुछ जमीन थर्ड पार्टी को आवंटित भी की है। तब भी अकार्यशील यूनिटों की सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है, जो सालो से बेकार है। औद्योगिक उत्पादन के लिए दी गयी यह ऐसी जमीन है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास दर और रोजगार से नहीं है।

तीन माह के अंदर हटाना होगा संयंत्र : जिस उद्यमी की तरफ से भूखंड या उसका कुछ अंश वापिस किया जा रहा है, तो उसे उस भूखंड के वर्तमान बियाडा दर आधार पर उनके द्वारा उपयोग की गयी लीज अवधि की आनुपातिक कटौती की जायेगी, बाकी राशि से 10% प्रशासनिक व्यय के लिए कटौती की जायेगी। इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। बकाये का कोई बकाया हो तो उसे काठ कर शेष राशि उद्यमी को दे दी जायेगी। योजना के तहत भूखंड वापसी का आवेदन मंजूर होने के तीन माह के अंदर यदि वहाँ संयंत्र है, तो उसे अनिवार्य तौर पर हटाना होगा। अगर निर्धारित अवधि के दौरान संयत्र नहीं हटाया जाता है, तो उसे नीलाम कर नीलामी की राशि बियाडा जब्त कर लेगा।

एग्जिट पॉलिसी के तहत पात्र इकाई : • ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जिनके आवंटन वैध हैं • आवंदन रद्द हैं, लेकिन अपील अवधि खत्म नहीं हुई हो • अपील वापस लेकर भी इस नीति का लाभ लिया जा सकता है • आवेदक को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि उस पर किसी भी वित्तीय एजेंसी अथवा विभाग का बकाया नहीं है • ऐसी इकाई जिसका आवंटन रद्द हो चुका हो, लेकिन बियाडा ने कब्जा नहीं लिया हो • रद्द इकाई जिसकी जमीन थर्ड पार्टी को आवंटित न हो पायी हो • आवंटन रद्द करने का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो • रिट याचिका वापस लेकर भी इस नीति का फायदा उठाया जा सकता है।

(साभार : प्रभात खबर, 12.8.2023)

पेनाल्टी लगाने पर नहीं चलेगी बैंकों-एनबीएफसी की मनमानी

कभी निर्धारित सीमा से कम राशि जमा खाते में रखने तो कभी समय पर मासिक किस्त का भुगतान नहीं करने पर पेनाल्टी लगाने के बैंकों के तौर-तरीकों पर आरबीआइ ने अब सख्ती दिखाने का फैसला किया है। केन्द्रीय बैंक का कहना है कि बैंक जरूरत पड़ने पर पेनाल्टी जरूर लगाएँ, लेकिन यह तरीका उनके राजस्व बढ़ाने का कोई जरिया नहीं होना चाहिए।

केन्द्रीय बैंक ने इस बारे में एक दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से कहा गया है कि वो इस बारे में अपने निदेशक बोर्ड से सत्यापित नियमों को लागू करें। बैंकों और एनबीएफसी को 01 जनवरी, 2024 से पेनल इनरेस्ट चार्ज (दंडात्मक ब्याज शुल्क) लगाने से मना कर दिया है।

केन्द्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंकों और दूसरे निगमित निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पहले से तय ब्याज दर पर कोई दूसरा ब्याज नहीं लगाया जाए। साथ ही जिस दर पर चार्ज लगाया जा रहा है, वह भी उचित होना चाहिए। आरबीआइ की ओर से यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत ग्राहकों पर लगाए जाने वाला अर्थ दंड, गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों पर लगाए जाने वाले ग्राहकों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह देखा गया है कि कुछ बैंक कारपोरेट ग्राहकों से तो कम पेनाल्टी वसूलते हैं लेकिन होम लोन, आटो लोन ग्राहकों पर ज्यादा पेनाल्टी लगाते हैं।

फ्लोटिंग से फिक्स्ड ब्याज का मिलेगा विकल्प : आरबीआइ ने बैंकों से कहा है कि वह कर्ज लेने वाले ग्राहकों को फ्लोटिंग रेट आधारित ईएमआइ को फिक्स्ड रेट आधारित ईएमआइ में तब्दील करने की सुविधा दें। यह सुविधा कुछ वर्ष पहले तक सामान्य तौर पर बैंक ग्राहकों को हासिल थी, लेकिन अब बैंकों ने इसे बंद कर दिया है। बहरहाल, अब आरबीआइ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब ब्याज दरों में बदलाव करने का फैसला हो तो ना सिर्फ इसके बारे में ग्राहकों को सही-सही जानकारी दी जाए बल्कि उन्हें स्थिर ब्याज दर व्यवस्था में अपने लोन खाते को बदलने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। इस फैसले से सबसे ज्यादा होम लोन लेने वाले ग्राहकों को फायदा होगा।

आरबीआइ के गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान कहा था कि ब्याज दरों के बढ़ने के माहौल में फ्लोटिंग आधारित ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर में जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। इस बारे में बैंकों को स्पष्ट नीति बनाने और इसे बोर्ड आफ डायरेक्टर से अनुमोदित कराने को कहा था। आरबीआइ ने कहा है कि बैंकों को यह भी बताना होगा कि एक लोन के लिए कितनी बार ग्राहक अपने ब्याज दर का विकल्प बदल सकता है।

ये सुविधाएँ भी देने को कहा : • ग्राहकों को उनकी ईएमआइ को बढ़ाने या कर्ज की परिपक्वता अवधि को बढ़ाने का विकल्प भी दिया जाएगा। यह ग्राहक पर निर्भर करेगा कि वह क्या चयन करता है • ग्राहकों को बकाये कर्ज के एक हिस्से का या पूरी तरह से समय से पहले भुगतान करने का भी विकल्प दिया जाना चाहिए। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 19.8.2023)**

जीवन बीमा पर पाँच लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम दिया तो होगी टैक्स वसूली

• जीवन बीमा पालिसी पर कर छूट तभी मिलेगी जब सालाना प्रीमियम पाँच लाख रुपए से कम हो • पाँच लाख से ज्यादा प्रीमियम अदा किए जाने पर पालिसी से मिली आमदनी को व्यक्ति की आय में जोड़ा जाएगा और उस पर स्लैब के हिसाब से लगेगा टैक्स।

आयकर विभाग ने पाँच लाख रुपए से अधिक के वार्षिक प्रीमियम होने की स्थिति में जीवन बीमा पालिसी से प्राप्त आय की गणना के लिए नियम तय किए हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम (सोलहवाँ संशोधन), 2023 को अधिसूचित किया है। इसमें जीवन बीमा पालिसी की परिपक्वा पर प्राप्त राशि के संबंध में आय की गणना के लिए नियम 11 यूएसीए निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान उन बीमा पालिसी के लिए है जिसमें प्रीमियम राशि पाँच लाख रुपए से अधिक है और ऐसी पालिसी एक अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी की गई हैं।

संशोधन के अनुसार, एक अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी की गई पालिसी के लिए धारा 10 (10डी) के तहत परिपक्वता लाभ पर कर छूट केवल तभी लागू होगी, जब किसी व्यक्ति की तरफ से भुगतान किया गया कुल प्रीमियम सालाना पाँच लाख रुपए तक हो। इस सीमा से अधिक प्रीमियम के लिए प्राप्त राशि को आय में जोड़ा जाएगा और लागू दर के हिसाब से कर लगाया जाएगा।

युलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) को छोड़कर जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में कर प्रावधान में बदलाव की घोषणा वित्त 2023-24 के बजट में की गई थी। एएमआरजी एण्ड एसोसिएट्स के संयुक्त भागीदार (कारपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि फार्मूले के अनुसार, परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी अधिशेष राशि पर 'अन्य स्रोतों से आय' की श्रेणी के अंतर्गत कर लगेगा। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 18.8.2023)**

बिना दावा वाली राशि पाने के लिए खास पोर्टल शुरू

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17.08.2023 को केन्द्रीकृत वेब पोर्टल 'उद्गम' पेश किया। इस पहल का मकसद लोगों को बिना दावे वाली राशि के बारे में पता लगाने और उसका दावा करने में मदद करना है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पोर्टल 'उद्गम' (बिना दावा वाली जमाराशि- सूचना तक पहुँच का प्रवेश द्वार) पेश किया। इसे केन्द्रीय बैंक ने तैयार किया है ताकि लोगों एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी बिना दावे वाली जमाराशियों की खोज करने में आसानी हो और वे उस पर अपना दावा कर सकें। पोर्टल पर वर्तमान में सात बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया और सिटी बैंक में बिना दावे वाली जमारशि के बारे में जानकारी उपलब्ध है।

रिजर्व बैंक ने छह अप्रैल, 2023 को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीकृत वेब पोर्टल बनाने की घोषणा की थी। पोर्टल पर अन्य बैंकों के लिए ऐसी राशि का पता लगाने की सुविधा चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर, 2023 तक उपलब्ध कराई जाएगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.8.2023)**

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food safety and Standards Authority of India
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

ध्यान दें

खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर्स
अपने एफएसएसएआई लाइसेंस/ पंजीकरण का सिर्फ 10 मिनट में नवीनीकरण करवाएँ

एफओएससी ओएस पोर्टल foscos.fssai. gov.in पर लॉग इन करें

- नवीनीकरण के लिए विशिष्ट रूप से ऑनलाइन मोड उपलब्ध है।
- किसी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं।
- केवल अनुपालनों पर घोषणा करने की आवश्यकता है।
- **भुगतान करने के बाद लाइसेंस/ पंजीकरण का तुरंत नवीनीकरण।**
- इसका आवेदन समाप्ति तिथि से 180 दिन पहले ही किया जा सकता है।
- **वैधता** - लाइसेंस : 1 वर्ष।
- **पंजीकरण :** चयन के अनुसार 1 से 5 वर्ष।

ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य व्यवसायों के एफओएससीओएस पंजीकृत ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बरों पर लाइसेंस/पंजीकरण की समाप्ति के पहले 10 रिमाइन्डर्स भेजता है।
- यह सुनिश्चित करें कि आपका ई-मेल तथा फोन नम्बर नियमित संदेश प्राप्त करने के लिए एफओएससीओएस पर अपडेट किया गया है।
- अपने लॉगइन प्रमाणकों को अपडेट करने के लिए 'फॉरगॉट पासवर्ड' विन्डो का उपयोग करें।
- यदि प्रमाणकों को पुन: सेट करने में असमर्थ हों तो एफओएससीओएस के 'अनाउंसमेंट सेक्शन' के अधीन उपलब्ध एसओपी के अनुसार आपने लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को लिखें।

हेल्पलाइन - कॉल : 1800112100 • ई-मेल: helpdesk-foscos@fssai.gov.in

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.8.2023)

एनपीएस का पोर्टल नई सुविधाओं के साथ जारी

• 75 वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में बने रहने की छूट उपलब्ध • 18 से 65 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति इस एनपीएस में शामिल हो सकते हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट की वेबसाइट को फिर से नए सुधारों के साथ लॉन्च किया है। इस बार इसमें कुछ नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े सदस्यों के लिए उपयोगी होंगी। इस वेबसाइट का शुभारंभ पीएफ आरडीए के चेयरमैन डॉ. दीपक मोहंती ने किया।

पीएफआरडीए के अनुसार, पेंशन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए वेबसाइट में जरूरी बदलाव किए गए हैं। इसका मकसद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से संबंधित जानकारियाँ सभी सदस्यों तक बिना किसी बाधा के पहुँचाना है।

नई वेबसाइट को डेस्कटॉप और मोबाइल से संचालित किया जा सकेगा। इसमें लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए कई नई सुविधाएँ और सुधार शामिल किए गए हैं। वेबसाइट हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।

तीन महत्वपूर्ण टैब : इसके होमपेज पर ही तीन महत्वपूर्ण टैब को शामिल किया गया है। इनमें 'एनपीएस खाता खोलें, सेवानिवृत्ति योजना बनाएँ (पेंशन कैलकुलेटर) और एनपीएस होल्डिंग्स देखें' शामिल हैं। इनकी मदद से सदस्य जरूरी जानकारी एक क्लिक से पा सकते हैं।

इसके अलावा होमपेज पर ही सरल ग्राफ्रिक्स के माध्यम से एनपीएस के सालाना प्राप्त होने वाले कुल लाभ को देख सकते हैं। यह संशोधित वेबसाइट https://npstrust.org.in वेब एड्रेस पर उपलब्ध है।

विकल्प सूची को छह श्रेणियों में बांटा गया : नई वेबसाइट पर एनपीएस और अटल पेंशन योजना दोनों के लिए विकल्प सूची को छह श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सुविधाएँ और लाभ, ऑनलाइन सेवाएँ, रिटर्न और चार्ट, एनपीएस कैलकुलेटर और शिकायतें तथा समाधान शामिल हैं। ऑनलाइन सेवा विकल्प के अंतर्गत अपने पीआरएएन, जन्मतिथि और ओटीपी को प्रमाणित करके सदस्य अपने एनपीएस खाते का पूरा विवरण पा सकते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.8.2023)

बिहारी उत्पादों को विदेशों में बेच सकेंगी सहकारी समितियाँ

राज्य के बुनकर, मिथिला पेंटिंग के कलाकार सहकारी समितियों के जरिए अपने उत्पादों को सीधे विदेशों में बेच सकेंगे। इसकी तैयारी तेज हो गई है। सहकारिता विभाग ने ऐसी इच्छुक समितियों को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का सदस्य बनने को कहा है।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) से जुड़ने के बाद समितियों को निर्यात का मौका मिलेगा। सहकारिता विभाग ने सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी और सभी सहायक निबंधकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इनसे कहा गया है कि निर्यात के लिए इच्छुक सभी सहकारी समितियों को इसका सदस्य बनवाएँ। 31 अगस्त तक कम से कम पाँच समितियों को सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें। निबंधक सहयोग समितियाँ राजेश मीणा ने वेजफेड, कॉम्फेड और बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को भी इस संबंध में पत्र लिखकर सदस्यता सुनिश्चित करने को कहा है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का सदस्य बनने के बाद इन्हें निर्यात के लायक माहौल मिलेगा। उन्हें तकनीकी मदद दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड में भी पाँच-पाँच सदस्य बनाने को कहा है।

निर्यात के लिए मिलेगी मदद : एनसीईएल विदेशी बाजारों तक पहुँच बनाकर भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादों का निर्यात करेगा। सहकारी समितियाँ द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेवलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान में मदद दी जाएगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 19.8.2023)

लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर मिलेगा अनुदान : मंत्री

वित्तीय वर्ष 2023-24 में समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए 10000 क्षमता (फीड मिल सहित) एवं 5000 क्षमता लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान की स्वीकृति दी गई है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मो. आफाक आलम ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन करने के लिए 10000 एवं 5000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ अंडा उत्पादन में वृद्धि राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, सस्ते पशुजन्य प्रोटीन (अंडा) की उपलब्धता बढ़ाना, लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

योजनान्तर्गत 10000 लेयर मुर्गी की क्षमता एवं 5000 लेयर मुर्गी क्षमता की स्थापना लागत पर सामान्य जाति के लाभुको के लिए 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति /जनजाति के लाभुकों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है। साथ ही चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। सामान्य जाति के लिए 10000 लेयर मुर्गी क्षमता के लिए 14 इकाई एवं 5000 लेयर मुर्गी की क्षमता के लिए 14 इकाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 10000 लेयर मुर्गी क्षमता के लिए 8 इकाई एवं 5000 लेयर मुर्गी की क्षमता के लिए 14 इकाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 10000 लेयर मुर्गी क्षमता के लिए 3 इकाई एवं 5000 लेयर मुर्गी की क्षमता के लिए 5 इकाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 10000 क्षमता की मुर्गी फार्म के लिए इकाई लागत एक करोड़ रुपये एवं 5000 क्षमता की मुर्गी फार्म के लिए इकाई लागत 48.50 लाख रुपये निर्धारित किये गए हैं।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 18.8.2023)

दाउदनगर के पीतल बर्तनों की चमक पड़ गई फीकी

- **सासाराम व भभुआ की सील-लोढ़ा बीते जमाने की वस्तु बनी**
- **ओबरा का कालीन उद्योग कमी हजार लोगों को रोजगार देता था**

पारंपरिक उत्पादों के मामले में औरंगाबाद, भभुआ, सासाराम और गोपालगंज की कोई सानी नहीं थी। औरंगाबाद स्थित दाउदनगर के पीतल व कांसे के बर्तन की चमक गजब की थी। भेड़ के उन के बने यहाँ के कंबल दूसरे प्रदेशों में भेजे जाते थे, लेकिन अब इनके सिर्फ नामलेवा ही बचे हैं। यही हाल गोपालगंज के बैकुंठपुर, सिधवलिया व फुलवरिया में तैयार होने वाले खादी के वस्त्रों का है। इसी तरह सासाराम व भभुआ की ओखली व सील-लोढ़ा गुजरे जमाने की वस्तु हो गए हैं। इन पर आधुनिकता की तो मार पड़ी ही, पत्थरों का खनन बंद होने से भी इनका गढ़ा जाना बंद हो गया। वहीं, पटना सिटी में तैयार होने वाले पीले टंगस्टन बल्ब की जगह एलईडी ने ले ली।

दूर-दर तक थी सासाराम में पत्थर से बने उत्पाद की प्रसिद्धि : सासाराम में पत्थर से बनी जाता, ओखली, सील-लोढ़ा, नासरीगंज का कंबल जिले के प्रमुख पारंपरिक उत्पाद रहे हैं। यहाँ के उत्पाद प्रदेश की विभिन्न भागों के अलावे अन्य प्रदेशों में जाते थे। लेकिन, 2008 में पत्थर उद्योग बंद होने के कारण पत्थर से बने उत्पाद पर जैसे ब्रेक लग गया है। वहीं नासरीगंज का कंबल उद्योग 40 वर्षों से बंद है। जिले की करवंदिया, बांसा, अमरा तलाब पर बड़े पैमाने पत्थर खनन का कार्य होता था। पत्थर की उपलब्धता के कारण इससे उत्पाद बड़े पैमाने पर यहाँ मिलते थे। पिछले सौ सालों से बन रहे पत्थर के उत्पादों पर 15 सालों से विराम लगा है। मिक्सर ग्राइंडर के कारण भी ओखली, सील-लोढ़ा की मांगों में कमी आई है। राजेन्द्र गोंड बताते हैं कि वह और उनकी पत्नी देवी पत्थर से सिल, लोढ़ा, चकरी, जाता, ओखली आदि तैयार कर बेचते थे। उन्हें बाजार नहीं जाना पड़ता था। ग्राहक घर या कार्य स्थल पर ही आ जाते थे। यह बात 70 दशक की है।

पारंपरिक उत्पाद नए कलेवर में परिवर्तित : बदलते परिवेश में पारंपरिक उत्पादों की स्वीकृति में भी बदलाव आ रहा है। पटना की टिकुली कला अब शीशा की जगह लकड़ी और कपड़ों पर उकेरी जा रही है। टिकुली कलाकार पिंकी कहती हैं कि टिकुली कला में हुए नए प्रयोग लोगों की पसंद आ रहे हैं। वहीं पटना सिटी में तैयार होने वाले टंग्सटन बल्ब की जगह अब एलईडी बल्ब ने ले ली है। घर से लेकर सड़क तक अब बल्ब की पीली रोशनी की जगह उजली रोशनी ने ले ली है। एलईडी बल्ब उद्योग से जुड़े पटना सिटी के रंजीत कुमार जायसवाल कहते हैं कि पटना में एलईडी बल्ब कलस्टर को जमीन पर उतारा जाए तो यहाँ काफी संभावनाएँ हैं। परेव के पीतल उद्योग में मशीनीकरण की शुरूआत हो गई है। परेव के पीतल कारीगर अखिलेश कहते हैं कि नई तकनीक का प्रयोग करके ही आज के दौर की वैश्विक प्रतियोगिता में ठहरा जा सकता है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 5.8.2023)

दवा कंपनियों को लेना होगा जीएमपी सर्टिफिकेट

देश की सभी दवा कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा। नए गुणवता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दवा कंपनियों को छह से 12 महीने तक समय दिया है। देश में कुल 10,500 दवा कंपनियाँ हैं, जिनमें से लगभग 2000 कंपनियों ने ही गुणवत्ता मानक के लिए तय गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस (जीएमपी) का सर्टिफिकेट लिया है। अब सभी के लिए इसे लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आज भारत दुनिया के 'फार्मेसी कैपिटल' के रूप में जाना जाता है। भारत की इस साख को बरकरार रखने के लिए उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करना जरूरी है। गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नियम शेड्यूल एम में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में शेड्यूल एम का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इसे फाइनल नहीं किया जा सका था। सरकार ने पिछले दिनों शेड्यूल एम के तहत जीएमपी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के जीएमपी के अनुरूप बनाते हुए इसे सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया।

12 महीन में सर्टिफिकेट ले सकेंगी छोटी कंपनियाँ : वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 250 करोड़ रुपये से अधिक सालाना टन ओवर वाली कंपनियों को छह महीने के भीतर जीएमपी के लिए आवेदन करने और सर्टिफिकेट लेने का समय दिया गया है। वहीं 250 करोड़ रुपये से कम की टर्न ओवर वाली कंपनियों को 12 महीने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट देने के पहले कपनी के फैक्ट्री का फिजिकल वेरीफिकेशन भी किया जाता है। देश में 8500 एमएसएमई दवा उत्पादन कंपनिया है। जिनका टर्न ओवर 250 करोड़ रुपये से कम है। इन कंपनियों को 12 महीने का समय मिल जाएगा। उन्होंने इसे देश में आम जनता को गुणवतापूर्ण दवा उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम बताया।

(साभार : दैनिक जागरण, 3.8.2023)

तारामंडल में खुलेगा पेटेंट सेल युवाओं को नहीं जाना होगा बाहर

प्रदेश का पहला पटेंट सेल तारामंडल में जल्द ही खुलेगा। इसके लिए भारत सरकार की ओर से अनुमति मिल गई है। कुल चार करोड़ की राशि का प्रस्ताव विज्ञान व प्रोद्यौगिकी विभाग भारत सरकार को 2022 में भेजी गयी थी।

छत्तीसगढ़ के साइंस काउंसिल से हरी झंडी मिलने के बाद दिसम्बर तक खुलने का इंतजार है। पेटेंट सेल बन जाने के बाद बिहार के स्टार्टअप व प्रोजेक्ट के लिए लोगों को दिल्ली व कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार अभी किसी भी इनोवेटर को पेंटेंट के लिए दूसरे राज्यों व प्राइवेट एजेंसियों के पास जाना पड़ता था जो मनमानी कीमत मांगते थे। इसके कारण पेटेंट करवाने से बचते थे। पेटेंट को लेकर यहाँ पर पूरी टीम होगी। इसमें लिगल एडवाइजर, विज्ञानी समेत अधिकारियों की टीम रहेगी। टीम गठन होने के बाद लोगों को सहायता मिलेगी।

यहाँ पर लोगों को पेटेंट के लिए आवेदन कैसे करना है, पत्र में क्या लिखना है, पेटेंट समेत जुड़ी सभी जानकारियाँ दी जाएगी। इसके लेकर राज्य स्तर पर वर्कशाप व सेमिनार का भी आयोजन होगा। आने वाले दिनों में सरकारी योजना के तहत पेटेंट फी लोगों को वापस किया जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 3.8.2023)

प्लास्टिक कचरे से बन रहे कुर्सी-टेबल

शहर से निकले प्लास्टिक कचरे से कुर्सी, टेबल व डस्टबिन बनाए जाते हैं। इसमें रोज तीन टन वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में प्लास्टिक कचरों से बन रहे इन उत्पादों की कई जिलों में मांग है।

प्लास्टिक वेस्ट संग्रहण के तहत रून्नीसैदपुर में छह करोड़ की लागत से बने प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट में कुर्सी टेबल के अलावा गोलियाँ व डस्ट जैसे कई उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों की मांग सीतामढ़ी शहर के अलावा मुजफ्फरपुर, पटना, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, शिवकर आदि जिले में है। रिसाइकिलिंग प्लांट के प्रोपराइटर जितेन्द्र कुमार ने बताया कि यहाँ शहर से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल होता है। इस प्लॉट के संचालित होने से करीब 250 लोगों को रोजगार मिला है। अनुमान के मुताबिक शहर से प्रतिदिन करीब 30 से 40 टन कचरे का उठाव किया जा रहा है। इसमें 25 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। इससे तरह-तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट में प्रत्येक दिन तीन टन वेस्ट प्लास्टिक की खपत हो रही है।

"प्लास्टिक रिसाइक्लिंग के तहत रून्नीसैदपुर में संचालित प्लांट बेहतर कार्य कर रहा है। शहर में और भी प्लांट शुरू करने को लेकर उद्यमियों को जागरूक किया जाएगा, ताकि प्लास्टिक का रिसाइक्लिंग किया जा सके।"

– **निशांत,** उद्योग विस्तार पदाधिकारी

(साभार : हिन्दुस्तान, 3.8.2023)

बिहार विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी मिली तो अगले अप्रैल से लागू हो जाएगी नई व्यवस्था

तैयारी : राज्य में बिजली दरें एक होंगी

- **2 स्लैब अभी घरेलू ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं के लिए**
- **4 से अधिक स्लैब हुआ करता था राज्य में**

बिहार में बिजली दर का स्लैब खत्म होगा। आने वाले दिनों में घरेलू व गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एक ही स्लैब होगा। यानी, चाहे जितनी भी बिजली का उपभोग करें, बिजली दर एक समान ही होगी। अभी कंपनी अलग-अलग स्लैब के आधार पर बिजली बिल की वसूली करती है।

एक समय पाँच दर्जन से अधिक स्लैब बना था : राज्य में पहले चार से अधिक स्लैब हुआ करता था। एक से 100 यूनिट, 101 से 200, 201 से 300 और 301 यूनिट से अधिक का स्लैब था। लेकिन धीरे-धीरे कंपनी ने इन स्लैबों को समाप्त कर दिया। एक समय पाँच दर्जन से अधिक स्लैब बना था। कंपनी ने साल-दर-साल इसमें कटौती की और अभी सभी श्रेणियों को मिलाकर बमुश्किल दो दर्जन स्लैब ही हैं। घरेलू उपभोक्ताओं में देखें तो ग्रामीण इलाके में दो स्लैब हैं। पहला स्लैब एक से 50 तो दूसरा 50 यूनिट से अधिक का है। जबकि, शहरी क्षेत्र में भी मात्र दो ही स्लैब हैं। शहरी क्षेत्र में पहला स्लैब एक से 100 यूनिट तो दूसरा स्लैब 100 यूनिट से अधिक है। इसे कम करते हुए मात्र एक ही स्लैब करने की तैयारी चल रही है।

इस साल भेजा जा सकता है प्रस्ताव : कंपनी के अधिकारियों के अनुसार एक स्लैब करने से पहले बिहार विद्युत विनियामक आयोग से मंजूरी लेनी होगी। कंपनी की ओर से हर साल 15 नवम्बर के पहले याचिका दायर की जाती है जिसमें बिजली दर में वृद्धि सहित अन्य प्रस्ताव भेजे जाते हैं। इस साल नवम्बर में दायर होने वाली याचिका में एक स्लैब का प्रस्ताव भेजा जा सकता है। अगर आयोग की अनुमति मिल गई तो अगले साल एक अप्रैल से लागू होने वाली बिजली दर में एक स्लैब के अनुसार ही लोगों को बिजली बिल देने होंगे।

छह माह तक तय लोड से अधिक खपत पर नहीं लगेगा जुर्माना : मुनाफे में आने के बाद बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को राहत देना शुरू कर दिया है। कंपनी ने तय किया है कि लोड (भार) से अधिक बिजली खपत होने पर उपभोक्ताओं को पेनाल्टी (जुर्माना) नहीं लगेगा।

उपभोक्ताओं को छह महीने का समय दिया गया है कि वे अपनी खपत के अनुसार विद्युत कनेक्शन का लोड बढ़वा लें ताकि उन्हें भविष्य में जुर्माना नहीं देना पड़े। बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने साउथ बिहार के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार और नॉर्थ बिहार कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य प्रकाश सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में इस पर सहमति दी। सीएमडी ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को तय लोड से अधिक डिमांड होने पर पेनाल्टी के तौर पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क से राहत दी गई है।

उपभोक्ताओं को लाभ : • एक स्लैब होने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा। मसलन ग्रामीण इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं को एक से 50 यूनिट के

बीच बिजली खपत करने पर 2.60 रुपये प्रति यूनिट तो इससे अधिक खपत करने पर तीन रुपए प्रति यूनिट के अनुसार बिजली बिल देना पड़ रहा है • शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को एक से 100 यूनिट के बीच खपत होने पर 4.27 रुपये प्रति यूनिट तो 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर 4.36 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ रहा है • एक समान बिजली दर में अधिकतम बिजली दर से कम राशि उपभोक्ताओं से ली जाएगी। इस तरह उपभोक्ताओं को बिजली खपत में कम पैसे देने पड़ेंगे।

एक नजर में बिजली दर : घरेलू (ग्रामीण) : 1 से 50 यूनिट – 2.60 रुपये / 50 यूनिट से अधिक – 3.00 रुपये • **घरेलू (शहरी) :** 1 से 100 यूनिट – 4.27 रुपये / 100 यूनिट से अधिक – 5.67 रुपये

(नोट : रुपये प्रति यूनिट में)

"स्मार्ट प्रीपेट मीटर लगने के बाद कई आवश्यक संशोधन हुए हैं जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। उसी क्रम में हम बिजली दर में एक स्लैब की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। निकट भविष्य में इस पर अमल किया जाएगा।" **– संजीव हंस**, सीएमडी, बीएसपीएचसीएल

(साभार : हिन्दुस्तान, 3.8.2023)

584 औद्योगिक यूनिटों को जेडइडी सर्टिफिकेशन

बिहार की 584 औद्योगिक यूनिटों को जेडइडी (जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट) सर्टिफिकेशन हुआ है। जेड सर्टिफिकेशन प्राप्त औद्योगिक यूनिट को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने में आसानी होगी। विश्व के अव्वल दर्जे के उत्पादों से वह प्रतिस्पर्धा कर बाजार में स्थान बना सकेंगे। जेड सर्टिफिकेट प्राप्त सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्योगों को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। जेड सर्टिफाइड एमएसएमइ को देश और विदेश में होने वाले व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में अपने स्टॉल लगाने के लिए स्टॉल खर्च के अलावा हवाई यात्रा खर्च और माल ढुलाई खर्च पर सब्सिडी दी जाती है। यह वो यूनिट्स हैं, जिनकी उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण और गुणवत्ता के मानकों पर पूरी तरह खरी है। इनमें तीन यूनिट को गोल्ड और सात को सिल्वर और शेष 574 को ब्रांज सर्टिफिकेशन मिला है। मुजफ्फरपुर की दो और बेगूसराय की एक एमएसएमइ यूनिट को गोल्ड जेडइडी (जेड) सर्टिफिकेट दिया गया है।

बिहार में अब तक जेड रजिस्टर्ड यूनिट

40733 यूनिटों के जेडइडी सर्टिफिकेशन का लक्ष्य : उद्योग विभाग ने 40733 यूनिटों के जेडइडी सर्टिफिकेशन का लक्ष्य रखा था। एमएसएमइ उद्यमों जडइडी सर्टिफिकेशन लागत पर 80%, लघु उद्यमों को 60% और मध्यम उद्यमों में 50% सब्सिडी सरकार प्रदान करने का प्रावधान है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमइ तथा पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी इलाकों, नक्सल प्रभावित इलाकों, आकांक्षी जिलों में स्थित एमएसएमइ को 10% अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

जिला	जेड सर्टिफिकेट	जिला	जेड सर्टिफिकेट
दरभंगा	97	गया	24
मुजफ्फरपुर	91	बेगूसराय	15
पटना	77	पूर्वी चंपारण	10
भोजपुर	50	पूर्णिया	7
वैशाली	50	मधुबनी	6
औरंगाबाद	49	भागलपुर	3
बक्सर	35	नालंदा	3
समस्तीपुर	33	रोहतास	2
पश्चिमी चंपारण	26	सीवान	2

अररिया, कैमूर, नवादा और शेखपुरा में एक-एक उद्योग को जेड सर्टिफिकेट मिला है। अरवल, बांका, गोपालगंज जुमई, जहानाबाद, कटिहार, खगाड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल में एक भी एमएसएमई यूनिट को जेड सर्टिफिकेट नहीं मिला है।

(साभार : प्रभात खबर, 1.8.2023)

प्रीपेड मीटर लगाने पर बकाया वसूली को लेकर 300 दिन की समय सीमा समाप्त

बिजली आपूर्ति कंपनियों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जाने के बाद पुराने बकाया बिल की वसूली को लेकर निर्धारित 300 दिन की समय-सीमा समाप्त कर दी है। अब उपभोक्ताओं के बिजली बिल में उनकी मासिक खपत का अधिकतम 25% राशि जोड़ कर बकाया को एडजस्ट किया जायेगा, ताकि उन पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। कंपनी अधिकारियों के मुताबिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद बकाये बिल की वसूली एक तय फॉर्मूले के तहत होगी। अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से पहले किसी उपभोक्ता को बिजली बिल एक हजार महीने का आ रहा था तो उससे एक महीने में अधिकतम 1250 रुपये की वसूली की जायेगी। इस फॉर्मूले के आधार पर ही उपभोक्ताओं से तब तक उस राशि की वसूली की जायेगी जब तक उनका बकाया शून्य न हो जाये। इस फॉर्मूले का पालन करने में अगर 300 दिन की समय सीमा पार भी कर जायेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजली कंपनी ने सुविधा एप का दायरा बढ़ाते हुए उसे आपग्रेड करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने आइ फोन में इस्तेमाल लायक एप बनाने का निर्णय लिया है।

(साभार : प्रभात खबर, 5.8.2023)

बिहार में एक हजार मेगावाट सौर बिजली का होगा उत्पादन : संजीव

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने कहा है कि बिहार में एक हजार मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होगा।

कजरा एवं पीरपैंती में स्टोरेज (भंडारित) बिजली की व्यवस्था के साथ सौर उत्पादन पर काम हो रहा है। दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के माध्यम से सोलर बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही छोटे व बड़े तालाबों में भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना पर काम चल रहा है। शुक्रवार 18.08.2023 को एक कार्यक्रम में सीएमडी ने कहा कि नीतीश सरकार की दूरदर्शी योजना जल-जीवन-हरियाली मिशन के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी भवन पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट एवं सभी वार्ड में दस-दस सोलर लाइट लगाए जा रहे है। स्मार्ट मीटर के मामले में बिहार नंबर वन राज्य है। अब तक 18 लाख से अधिक से अधिक प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जा चुके हैं।

अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका लाभ यह हुआ कि बिजली नुकसान पिछले 11 वर्षो में 53 प्रतिशत से घटकर 23 प्रतिशत पर आ गया है। साउथ, बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एमडी महेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार में 2006 वर्ष में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 17.3 लाख थी जो 2023 में बढ़कर 189.5 लाख हो गई है। अभी राज्य में 140 ग्रिड सब-स्टेशन हैं। सुविधा ऐप से लोगों को काफी सहूलियत हुई है। वे घर बैठे बिजली संबधित सभी कार्य खुद से कर रहे हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 19.08.2023)**

अनावश्यक बिजली गुल तो करें क्षतिपूर्ति का दावा

देश के हर नागरिक को 24 घंटे बिजली की उपलब्धता हो, केन्द्र सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे देश में बिहार उन गिने-चुनें दो तीन राज्यों में से एक है, जहां लोडशेडिंग की समस्या आज भी बनी हुई है। केन्द्र की ओर से यहां पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन यहाँ वितरण प्रणाली आज भी दोषपूर्ण है, जिससे यहां बिजली काटना आम बात है। इसके लिए जनता को भी जागरूक होना होगा। यदि अनावश्यक लोड शेडिंग होती है तो उपभोक्ता डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। उन्हें याद रखना है कि बिजली उनका अधिकार है और इस अधिकार से उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। ये बातें शुक्रवार 18.08.2023 को एनटीपीसी के बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज-1 की 660 मेगावाट यूनिट 2 के लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने कही। उन्होनें कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो यहां के हर

नागरिकों को शत-प्रतिशत बिजली उपलब्ध कराना ही होगा। उन्होनें बिहार की 90 प्रतिशत से अधिक बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनटीपीसी की सराहना की। यूनिट-2 को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए एनटीपीसी के इंजीनियरों और श्रमिकों की उन्होनें सराहना की सम्मानित किया। केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद बिहार को इससे लगभग 2337 मेगावाट (स्टेज-1 से 1194 मेगावाट और स्टेज-2 से 1143 मेगावाट) मिलेगी।

वर्तामान में एनटीपीसी, बाढ़ से बिहार को 1935 मेगावाट (चरण 1 से 792 मेगावाट और चरण 2 से 1143 मेगावाट) की आपूर्ति हो रही है। 3300 मेगावाट की कुल योजनाबद्ध क्षमता वाली बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना में चरण-1 में 1980 मेगावाट और चरण-2 में 1320 मेगावाट शामिल है। सभी इकाइयां सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जो बिजली उत्पादन के लिए एक कुशल तकनीक है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 14.08.2023)**

बिजली आपूर्ति में होने वाले नुकसान का बोझ अब सरकार पर नहीं डालेगी कंपनी

एटीएंडसी मद में नुकसान होने वाली करीब 1740 करोड़ रुपये की बिजली का पैसा खुद भरेगी बिजली कंपनी

आपूर्ति के दौरान होने वाले औसत बिजली नुकसान का बोझ बिजली कंपनी अब राज्य सरकार पर नहीं डालेगी. पहली बार फायदे में पहुंची बिजली कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि इसकी भरपाई वह खुद अपने मद से करेगी. वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 1740 करोड़ रुपये की बिजली नुकसान का आकलन किया गया है. बिजली कंपनी यह राशि अपने मद से एडजस्ट करेगी और राज्य सरकार से इसके लिए दावा नहीं करेगी.

35 फीसदी बिजली का औसत नुकसान : बिजली कंपनी के मुताबिक वर्तमान में बिहार का औसत तकनीकी एवं व्यवसायिक (एटीएंडसी) बिजली नुकसान करीब 35 फीसदी है. यानी ट्रांसमिशन से उपभोक्ता के घर तक पहुंचते-पहुंचते करीब एक तिहाई से अधिक बिजली का नुकसान हो जाता है. तकनीकी हानि से लेकर बिजली चौरी के चलते आपूर्ति होने वाली इस बिजली का राजस्व कंपनी को नहीं मिल पाता. इसके साथ ही सही ढंग से बिलिंग नहीं होने या बिलिंग होने के बावजूद कलेक्शन नहीं होने पर भी कंपनी को व्यावसायिक हानि होती है. इस नुकसान की भरपाई के लिए बिजली कंपनी हर साल राज्य सरकार से पैसे लेती है. मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी ने एटीएंडसी नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार से 1740 करोड़ लेने का निर्णय लिया था, लेकिन इसी दौरान कंपनी 214 करोड़ के मुनाफे में आ गयी है. इसलिए कंपनी ने तय किया है कि इस साल बिहार सरकार से वह नुकसान की भरपाई के लिए 1740 करोड़ नहीं लेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 13.08.2023)**

दिन में सस्ती और रात में महंगी होगी बिजली, टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू करने की तैयारी

राज्य के लोगों को रात में चौन की नींद लेनी महंगी होगी। कारण, बिजली कंपनी रात में बिजली दर बढ़ाएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की तरह सबसे पहले टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक दिन में सोलर से उत्पादित होने वाली बिजली सस्ती मिलेगी। रात में थर्मल पावर से उत्पादित होने वाली बिजली महंगी होगी। इसी हिसाब से बिजली की खरीद कर कंपनी के द्वारा दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली सप्लाई दी जाएगी। इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। घरेलू उपभोक्ता दिन में कपड़ा धोने सहित अन्य काम करेंगे। इसी तरह दुकान-प्रतिष्ठान दिन में ज्यादा खुलते हैं। इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, उद्योग चलाने वाले दिन में काम कर सस्ती बिजली का फायदा उठाएंगे। राज्य में 1.85 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसमें 90 से 95 प्रतिशत उपभोक्ता घरेलू हैं। वर्तमान समय में राज्य में 7506 मेगावाट बिजली की खपत है। सेंट्रल सेक्टर से बिहार का कोटा 11020 मेगावाट का है।

क्या है टाइम ऑफ डे का फॉर्मूला : केंद्रीय उर्जा मंत्रालय के द्वारा सोलर से बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पीछे का तर्क ग्लोबल वार्मिंग और कोयले का सीमित भंडार होना है। इस कारण देश स्तर पर दिन के आठ घंटे (सूर्य की रोशनी रहने तक) 10 से 20 प्रतिशत बिजली सस्ती होगी। रात में थर्मल पावर यानी कोयले से उत्पादन होने वाली बिजली 10 से 20 प्रतिशत महंगी होगी।

राज्य में 500 मेगावाट सोलर से बिजली उत्पादन की तैयारी : बरौनी व कांटी बिजली थर्मल पावर प्लांट ,नटीपीसी को दिए जाने के बाद से राज्य में बिजली उत्पादन शून्य है। अब कजरा और पीरपैंती में बिजली कंपनी के द्वारा सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू की गई है। 1700 करोड़ की लागत से कजरा में 185 मेगावाट बैट्री स्टोरेज सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए डीपीआर बना है। इसके साथ ही राज्य में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष	ग्रीन एनर्जी का उत्पादन
2022-23	24.61%
2023-24	27.08%
2024-25	29.91%
2025-26	33.01%
2026-27	35.95%
2027-28	38.81%
2728-29	41.36%
2029-30	43.03%

वर्ष 2030 तक कुल खपत का 43.33 प्रतिशत ग्रीन इनर्जी लेने का लक्ष्य

जल्द लागू करने की तैयारी

राज्य के उपभोक्ताओं को टीओडी टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में बिहार आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की तरह सबसे पहले टीओडी टैरिफ बिहार में लागू हो सकता है। इसका सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगी। सरकार के द्वारा दर सस्ता करने के लिए सब्सिडी का बोझ भी कम होगा।

– संजीव हंस, सचिव, उर्जा विभाग, बिहार

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 01.08.2023)

1300 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बनेंगे, इनमें 49 बिहार के; 24,470 करोड़ रुपए लागत

रेलवे देशभर के 1300 रेलवे स्टेशन को अगले कुछ वर्षों में एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 508 उन रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे, जिसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसकी लागत 24,470 करोड़ रुपए आएगी। 27 राज्यों में 508 स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी का कहना है कि स्टेशनों का विकास अगले 50 साल की जरूरतों के हिसाब से किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं। विकास कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा है। 1300 स्टेशनों में से कुछ को छोड़ दिया जाए तो यह देखा गया है कि स्टेशन पटरी के सिर्फ एक तरफ ही हैं, जबकि कुछ. वर्षों में रेलवे पटरियों के दोनों तरफ शहर विकसित हो गए हैं। ऐसे में दोनों तरफ से लोग स्टेशन आते हैं, इसलिए जरूरी है कि दोनों तरफ ही स्टेशन भवन को विकसित किया जाए। कई शहर ऐसे हैं, जहां रेलवे स्टेशन के आसपास ही बस अड्डे, ऑटो स्टेशन और मेट्रो भी हैं। ऐसे में विकसित किए जा रहे स्टेशनों के पास ट्रांसपोर्ट के सभी विकल्पों को एकीकृत करने की कोशिश है।

बिहार के ये स्टेशन विकसित होंगे : औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण रोड, बेगुसराय के लखमिनिया व सलौना, भागलपुर के कहलगांव, नौगछिया, पिरपैंती व सुल्तानगंज, भोजपुर के आरा व बिहिया, बक्सर के डुमरांव व रघुनाथपुर, दरभंगा, गया के गया व पहाड़पुर, जमुई के जमुई व सिमुलतला, जहानाबाद, कैमुर के भभुआ रोड, दुगौती व कुद्रा, कटिहार के बारसोई, खगड़िया के खगड़िया व मानसी, किशनगंज के किशनगंज व ठाकुरगंज, मधुबनी के जयनगर, सकरी व मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर के ढोली, मुजफ्फरपुर व रामदयालु नगर, नालंदा के बिहार शरीफ व राजगीर, पश्चिम चंपारण के

नरकटियागंज व सुगौली, पटना के बख्तियारपुर, बाढ़, फतुहा व तारेग्ना, पूर्वी चंपारण के बापूधाम मोतिहारी, पूर्णिया के बनमनखी, रोहतास के सासाराम, सहरसा, सरस्तीपुर के दलसिंघसराय व समस्तीपुर, सारण के सोनपुर, सीतामढ़ी, व वैशाली के हाजीपुर स्टेशन।

स्टेशनों पर ये होगा निर्माण : जहां जमीन की कमी, वहां रेलवे स्टेशन भवन बहुमंजिला होंगे। ऊपर प्लाजा विकसित किए जाएंगे। रेल पटरी के ऊपर की खाली जगह पर प्लाजा बनेंगे। एस्केलेटर की भी सुविधा होगी। वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, खानपान की व्यवस्था, खरीदारी के लिए दुकानें होंगी। स्टेशन के दोनों तरफ से एंट्री गेट होंगे। **(साभार : दैनिक भास्कर, 05.08.2023)**

जेपी गंगा पथ और अटल पथ होकर सोनपुर और हाजीपुर के लिए बस और ऑटो चलेंगे

राजधनी के लोगों को जेपी गंगा पथ और अटल पथ होते सोनपुर और हाजीपुर स्टेशन जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। परिवहन निगम द्वारा गांधी मैदान से अटल पथ और जेपी गंगा पथ होते जेपी सेतु के रास्ते से सोनपुर और हाजीपुर तक बस का परिचालन किया जाएगा। सरकारी के साथ प्राइवेट बसें भी चलेंगी। दोनों मार्गों का सर्वे हो चुका है। अगले महीने रूट नोटिफाइड किया जाएगा। रूट नोटिफाइड होने के बाद प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 10 बसों का परिचालन सितंबर से होने की संभावना है। बस के साथ ही दोनों मार्गों से हाजीपुर तक ऑटो का भी परिचालन होगा। अटल पथ और जेपी गंगा पथ के रास्ते 100-100 ऑटो का परिचालन किया जाएगा। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के जिला अध्यक्ष चंदन सिंह ने कहा कि छपरा, गोपालगंज, सोनपुर, हाजीपुर सहित उत्तर बिहार जाने वाली बसों को जेपी सेतु से चलाने की अनुमति देने की मांग कई बार परिवहन विभाग से की गई है।

फिलहाल 10 बसें और 100-100 ऑटो चलेंगे : गांधी मैदान से गंगा पथ होकर जेपी सेतु से सोनपुर होते हाजीपुर जाने में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस रास्ते से प्रति यात्री किराया 70 रुपए और रिजर्व में 500 रुप्ए लगेंगे।

नहीं जाना पड़ेगा जंक्शन गोलंबर : गांधी मैदान से गंगा पथ होते ऑटो और बस का परिचालन होने से दीघा, गांधी मैदान, राजापुर पुल, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी सहित अशोक राजपथ के सटे मोहल्लों में रहने वाले लोगों को सुविधा होगी। उन्हें सोनपुर और हाजीपुर आने-जाने के लिए स्टेशन गोलंबर जाकर ऑटो पकड़ने से मुक्ति मिलेगी। इन्हें गांधी मैदान या दीघा से ही ऑटो मिल जाएगा। इतना ही नहीं लोगों को मरीन ड्राइव पर आने-जाने के लिए भी ऑटो की सुविधा मिलेगी। प्रीपेड और शेयरिंग दोनों तरह के ऑटो चलेंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर ऑटो चालकों से बातचीत हो गई है। प्रशासनिक अनुमति मिलते ही इसकी सुविधा मिलने लगेगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 18.08.23)**

'पीएम विश्वकार्म योजना' को मंजूरी, कुम्हार बढ़ाई, लोहार, सुनार समेत 18 वर्गों को लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिनांक 16.8.2023 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 'पीएम विश्वकर्मा योजना' को मंजूरी प्रदान कर दी गयी. योजना के तहत शिल्पकारों को एक लाख रुपये तक का लोन पांच प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा. 30 लाख शिल्पकार परिवार इससे लाभान्वित होंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के बीच पांच वर्षो की अवधि में 13 हजार करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा था कि यह योजना विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर (17 सितंबर) शुरू की जायेगी. पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक कार्य करने वालों को रखा गया है. इनमें बढ़ई, नौका बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा एवं औजार बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, पत्थर की कारीगरी करने वाले, चर्मकार, राज मिस्त्री, दरी, झाड़ू एवं टोकरी बनाने वाले, धोबी, दर्जी, नाई, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले आदि शामिल हैं. पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र देकर मान्यता भी दी जायेगी.

क्या है योजना में : • 2 तरह की स्किल ट्रेनिंग : बेसिक और एडवांस • 500 रुपये का दैनिक भत्ता रोजाना ट्रेनिंग के दौरान • 1 लाख रुपये का लोन 5% ब्याज पर पहले चरण में • 2 लाख का रियायती ऋण दूसरे चरण में दिया जायेगा • 15 हजार की मदद आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए

सोननगर-अंडाल समेत सात रेलवे प्रोजेक्ट मंजूर : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान कर दी है. देश के नौ राज्यों के 35 शहरों से जुड़ी इस परियोजना से रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 2339 किमी जोड़ा जा सकेगा. इन राज्यों में यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और बंगाल शामिल हैं. इसमें सोननगर- अंडाल खंड (375 किमी) भी शामिल है, इसकी लागत 13606 करोड़ है.

100 शहरों में चलेंगी 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नगरीय बस परिवहन सेवा का विस्तार करने, उसे सुविधाजनक बनाने तथा हरित आवाजाही को बढ़ाने के लिए 'पीएम-ई बस सेवा' को मंजूरी दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना में उन शहरों को प्राथमिकता दी जायेगी जहां व्यवस्थित परिवहन सेवा की कमी है. इस कार्यक्रम पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और 10 हजार इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी. यह राशि 10 वर्ष में खर्च की जायेगी. इसके लिए केंद्र सरकार 20 हजार करोड़ रुपये देगी और शेष राशि राज्यों को देनी होगी. इससे 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे.

(साभार : प्रभात खबर, 17.08.2023)

डीटीओ बने दावा जांच अधिकारी

हिट एंड रन मामले में अब जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) ही संबंधित जिला के लिए दावा जांच अधिकारी होंगे। परिवहन विभाग ने इस पद के लिए उन्हें योग्य मानते हुए नामित किया है। वहीं मोटरयान निरीक्षक जिला स्तरीय समिति में सदस्य होंगे। परिवहन विभाग के उप सचिव कृत्यानंद रंजन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए कदम उठाया गया है। यह पहल केंद्र के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के आलोक में की गई है। इसके तहत टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 के लिए सभी डीटीओ को संबंधित जिलों के लिए दावा जांच अधिकारी के रुप में मान्यता दी गयी है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 06.08.2023)

मार्च 2024 तक 338 किमी लंबी चार एनएच होंगी तैयार

राज्य में चार एनएच का करीब 338 किमी लंबाई में निर्माण इस साल से मार्च 2024 तक पूरा हो जायेगा. इसमें नरेनपुर-पूर्णिया, अररिया-गलगलिया, पिपराकोठी-मोतिहारी-रक्सौल और पटना-गया-डोभी सड़क शामिल हैं. इन सभी का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इनके बनने से एक दर्जन जिलों में आवागमन बेहतर होगा. साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल से बेहतर कनेक्टिविटी विकसित होगी. इससे राज्य का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होगा।

अररिया- गलगलिया फोरलेन : सूत्रों के अनुसार अररिया-गलगलिया फोरलेन एनएच का निर्माण दो पैकेज को मिलाकर करीब 94 किमी लंबाई में हो रहा है. इसे पूरा करने की समय सीमा नौ जनवरी 2024 है। इसमें जमीन अधिग्रहण की समस्या सुलझ चुकी है। साथ ही मुआवजे का भुगतान जिला प्रशासन कर रहा है।

पिपराकोठी-मोतिहारी-रक्सौल एनएच : पिपराकोठी-मोतिहारी-रक्सौल फोरलेन एनएच-28ए और 527डी का निर्माण 68.6 किमी लंबाई में 400 करोड़ से अंतिम चरण में है। इस सड़क के बनने से नेपाल तक आवगमन की सुविधा बेहतर हो सकेगी।

नरेनपुर-पूर्णिया एनएच : नरेनपुर-पूर्णिया फोरलेन एनएच का निर्माण करीब 49 किमी लंबाई में 1905 करोड़ से हो रहा है। इसका निर्माण 18 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, इनका निर्माण अंतिम चरण में है। इसके बनने से सीमांचल के इलाके में आवागमन की सुविधा में बढ़ोतरी होगी।

पटना-गया-डोभी एनएच : पटना-गया-डोभी फोरलेन एनएच के तीनों पैकेज का करीब 127 किमी लंबाई में निर्माण करीब 1609 करोड़ की लागत से मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना है। इस सड़क के बनने से पटना से झारखण्ड आवागमन में सुविधा होगी। **(साभार : प्रभात खबर, 19.08.2023)**

गंगा व गंडक 170 किलोमीटर चैनल निर्माण कर जोड़ी जाएंगी

गंगा और गंडक नदी 170 किलोमीटर लंबे चैनल का निर्माण कर आपस में जोड़ी जाएंगी। अगले 15 माह में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। जल संसाधन विभाग ने इसके लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार कर ली है। टेंडर की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गोपालगंज, सीवान और सारण होकर गुजरने वाले इस चैनल और उससे जुड़े अन्य निर्माण पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरी राशि राज्य योजना से खर्च की जाएगी।

यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। सीएम ने समीक्षा के क्रम में बाढ़ से निजात दिलाने के लिए उक्त स्थल पर गंगा को गंडक नदी से जोड़ने की योजना बनाने को कहा था। इसके बाद उनके निर्देशन में ही हमने इसकी कार्ययोजना तैयार की।

– संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री

इन जिलों के लोग होंगे लाभान्वित : नदी जोड़ योजना से गोपालगंज जिले के गोपालगंज, मांझा, बरौली, सीवान के बड़हरिया, गोरियाकोठी, दरौंदा, महाराजगंज, भगवानपुर हाट व सारण जिले के लहलादपुर, बनियापुर, मढ़ौरा, नगरा, खैरा, गरखा, दरियापुर, दिघवारा, सोनपुर प्रखंडों के निवासी लाभान्वित होंगे। आसपास के लोगों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।

योजना से ये लाभ : गंडक में काफी पहले पानी आता है। जून में ही नदी में जबरदस्त पानी का प्रवाह होता है। उस समय गंगा में कम पानी होता है। ऐसे में गंडक नदी का पानी चैनल के माध्यम से वैकल्पिक रास्ता होकर सारण में गंगा में मिलेगा। उस समय गंगा नदी लगभग खाली रहती है। इससे गंडक का पानी आसानी से यहां आ जाएगा और गंडक से गोपालगंज, सीवान में बाढ़ नहीं आएगी। इसके अलावा लुप्त हो चुकी अकाली नाला (छाड़ी) नदी को भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। **(विस्तृतः हिन्दुस्तान, 19.08.2023)**

बिहार के 26 हजार वर्ग किमी एरिया में आती है बाढ़, कुल क्षेत्रफल का 27.5 प्रतिशत इलाका प्रभावित

• 525 वर्ग किमी क्षेत्र में हर साल आती है बाद • 75 फीसदी बाढ़ वाले इलाके उत्तरी बिहार में • 16544 वर्ग किमी में चिंताजनक स्थिति नहीं • 2461 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्यम गति के बाढ़ जोन में है

बिहार के कुल 94 हजार 163 वर्ग किलोमीटर में से 26हजार 073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ आती है. इसमें, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और खगड़िया के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं. राज्य का लगभग 27.5 फीसदी इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है. 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है. इसमें कुछ एरिया को छोड़ कर अधिकतर में बहुत खतरे वाली स्थिति नहीं होती है. बाढ़ का 75 फीसदी इलाका उत्तरी बिहार में है. ये तथ्य आइसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर) पटना की ओर से डेवलप किये गये हाइ रिजॉल्यूशन मैप में सामने आये हैं. इसके माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को पांच वर्गों में विभाजित किया गया है. इन क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान भी खेती की क्या संभावनाएं हैं, इसकी योजना भी बतायी गयी है. हालांकि, इस साल फिलहाल बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है।

तीव्रता के आधार पर पांच वर्गों में बांटे गये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र : शोध पत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को पांच वर्गों में बांटा गया है. 525 वर्ग किलोमीटर में बाढ़ की गति अति तीव्र, 804 में तीव्र, 2461 में मध्यम तीव्र, 5738 में निम्न तीव्र तथा 16544 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अति निम्न तीव्रता का बाढ़ आती है. अति तीव्र वाले एरिया में हर साल बाढ़ आती है. इसमें अति तीव्र और तीव्र गति वाले एरिया में बाढ़ की गहराई 1.50 मीटर से अधिक होती है. इस कारण इन क्षेत्रों में धान की खेती की संभावना न के बराबर है।

2461 वर्ग किमी में 53 फीसदी 2461 वर्ग किमी में 53 फीसदी तक बर्बाद हो जाता है धान : राज्य में 2461 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्यम गति के बाढ़ जोन में है. इस इलाके में 14 से 53 फीसदी धान की खेती को नुकसान होता है. निम्न तीव्र के 5738 तथा अति निम्न के 16544 वर्ग किलोमीटर वाले बाढ़ क्षेत्र में चिंताजनक स्थिति नहीं होती है. इन दोनों एरिया में धान की खेती को नुकसान नहीं होता है. तीव्र और अति तीव्र वाले बाढ़ प्रभावित एरिया में बागवानी फसल लगाने की योजना बनायी जा सकती है।

बाढ़ प्रबंधन कार्य में मिलेगी सहायता : वैज्ञानिक डॉ अकरम अहमद ने बताया कि आइसीएआर के भूमि व जल प्रबंधन विभाग के प्रमुख डॉ आशुतोष उपाध्याय के गाइडेंस में यह कार्य किया गया है। इस प्रोसेस में कई गांवों का स्पॉट निरीक्षण किया गया। इसके आधार पर शोध की आकलन रिपोर्ट तैयार की गयी। वहीं, आइसीएआर के निदेशक डॉ अनुप दास ने बताया कि इस कार्य से बिहार में बाढ़ प्रबंधन के कार्य में सहायता मिलेगी। इससे आपदा के दौरान आजीविका की बेहतर प्लानिंग हो पायेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 07.08.2023)**

बकाया कर एकमुश्त दे देने पर वाहनों को नहीं लगेगा जुर्माना

राज्य में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से टैक्स डिफॉल्टर हो रहे परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर- ट्रेलर व बैट्री चालित गड़ियों को बकाया पथकर या हरित कर एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से मुक्त कर दिया जायेगा। यह फैसला मंगलवार दिनांक 01.08.2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (उत्सर्जन मानक बीएस-4 को छोड़कर) को एकमुश्त पथकर जमा करने पर और वाहन व्यवसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से विमुक्ति या कमी किये जाने की स्वीकृति दिये जाने एवं अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से अगले छह माह तक की अवधि के लिए लागू किये जाने की स्वीकृति दी गई। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 2.8.2023)**

नयी पर्यटन नीति को लेकर होटल संचालक, टूर ऑपरेटर्स व अन्य के साथ बैठक

उद्यमियों के साथ नव उद्यमियों के लिए बनायी जा रही योजना : अभय

राज्य में नई पर्यटन नीति को लेकर दिनांक 9.8.2023 को पर्यटन निदेशालय सभागार में सचिव पर्यटन विभाग अभय कुमार सिंह ने सभी व्यावसायिक संगठनों, होटल संचालकों, टूर ऑपरेटर्स और गाइडों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव ने कहा कि नयी टूरिज्म पॉलिसी में बिहार को देश का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण पर्यटन केन्द्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य के अनुरूप अतिथि देवो भव की भावना के साथ राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय विरासत से जुड़े पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग की जानी है। दिनांक 09.08.2023 बुधवार को अंशधारको के साथ हुई इस बैठक में आए सुझावों के अनुरूप नई नीति पूर्ण रूप से तैयार होने के उपरात सरकार के स्तर से स्वीकृत होकर अमल में आएगी।

पर्यटन सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि स्थापित उद्यमियों के साथ नव उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए राज्य की पर्यटन नीति बनायी जा रही

है। इससे राज्य का आर्थिक विकास, पर्यटन के संस्थागत ढांचे की बेहतर संरचना का विकास, इसके नियामक ढांचे में सुधार और उसका उन्नयन करना पर्यटन विभाग का मुख्य उद्देश्य है ताकि पर्यटन के लिए यथोचित पर्यटन उद्यम परिवेश को हम सब और बेहतर कर सकें। राज्य के पर्यटन क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने हेतु पर्यटन स्थलों को अलग-अलग भागों में विभक्त किया गया है। राज्य के धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन, विरासत एवं सांस्कृतिक पर्यटन, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मीटिंग, इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेन्स व एक्जीबिशन टूरिज्म सप्ताहांत पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन के तहत टूरिज्म पॉलिसी में उद्यमियों को कई तरह के मदद और प्रोत्साहन राशि के प्रावधान प्रस्तावित हैं। राज्य के सभी उद्यमी आगे आएँ और अपने सुझावों को देते हुए भागीदारी के साथ सहभागिता करते हुए बिहार पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर स्वयं बनें।

सचिव ने कहा कि पर्यटन नीति का उद्देश्य विदेशी और घरेलू पर्यटकों की आमद और भी अधिक बढ़ाना है। हम कोरोना के पहले विदेशी पर्यटकों की श्रेणी में देश में नौवें नंबर पर थे और देशी पर्यटकों की श्रेणी में 15 वें पायदान पर थे। आने वाले कुछ वर्षों में हम दोनों श्रेणियों में किस प्रकार क्रमश : टॉप फाइव और टॉप टेन की श्रेणी में रहें इसके लिए रणनीतिपूर्वक कार्य किया जा रहा है।

बैठक के दौरान सीआईआई, फेडरेशन ऑफ होडल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर एसोसिएशन, बिहार टूरिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि सहित कई होटलों व दूर ऑपरेटर्स के प्रतिनिधगण उपस्थित थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए उनसे प्राप्त विभिन्न सुझावों के अनुरूप पर्यटन नीति को बेहतर रूप से तैयार कर राज्य में अमल में लाया जाएगा।

इस मौके पर पर्यटन निदेशक विनय कुमार राय, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंदकिशोर, महाप्रबंधक सह वरीय परियोजना पदाधिकारी पर्यटन विभाग अभिजीत कुमार के साथ विभाग के सभी वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। **(साभार : आज, 10.8.2023)**

पहल : पर्यटन विभाग ने सभी सुविधा संपन्न 'सत्कार केन्द्रों' की चार श्रेणियाँ तय की

राजमार्ग किनारे रेस्त्रां खोलने पर 50 लाख तक सहायता

पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले राजमार्गों के किनारे रेस्तरां (सुविधा संपन्न सत्कार केन्द्र) खोलने पर राज्य सरकार पचास लाख रुपये तक की मदद देगी। रेस्तरां के साथ ही यहाँ पार्किंग, वाहन चार्जिंग स्टेशन, गैराज, पेजयल, शौचालय की सुविधा भी मुहैया करानी होगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए राज्यभर के 23 राजमार्गों का चयन किया है।

सभी सुविधा संपन्न सत्कार केन्द्रों की चार श्रेणियों तय की गई हैं। इसके लिए आवेदन सात अगस्त से शुरू होगा। पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के तहत यह मदद दी जाएगी। सत्कार केन्द्र खोलने वाले व्यक्ति को योजना का पचास फीसदी या अधिकतम पचास लाख रुपये तक की मदद प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि कई तरह की सेवा उपलबध होने के चलते सत्कार केन्द्रों से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। केन्द्र खोलने के अच्छुक व्यक्ति सुविधाओं और जमीन की उपलब्धता के हिसाब से चार श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र उपलब्ध हैं। आधुनिक सत्कार केन्द्रों को सुविधाओं के हिसाब से प्रीमियम, स्टैण्डर्ड, बेसिक व मौजूदा कार्यरत संरचनाओं में बांटा गया है।

सत्कार केन्द्रों पर ये सुविधाएँ रखनी होंगी : • आधुनिक सुविधायुक्त रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा या कैफेटेरिया • महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय • वृद्ध एवं दिव्यांग के लिए सुविधा • हस्तशिल्प दुकान, जनरल स्टोर • प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था • चौबीसों घंटे पानी और बिजली • वाहनों के लिए पक्की पार्किंग • बैंक, एटीएम, ट्रैवल डेस्क • वाहन मरम्मत/इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हो

आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित : आवेदक विभागीय वेबसाइट www.tourism.bihar.gov.in पर जाकर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से योजना की दिशा-निर्देशिका एवं आवेदन डाउनलोड कर लें। निर्धारित पाँच हजार रुपये का शुल्क भुगतान करना है। इसके लिए निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार के नाम से देय डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। उसके बाद भरे हुए आवेदन और जरूरी दस्तावेज को बंद लिफाफे में मार्गीय सुविधा कोषांग, पर्यटन विभाग में जमा करना होगा।

ये हैं चार श्रेणी : • प्रीमियम मार्गीय सुविधा के लिए डेढ़ एकड़ जमीन पर 15 हजार वर्गफुट में निर्माण करना होगा। इस पर अधिकतम पचास लाख या अधिकतम 50% अनुदान • स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा के लिए एक एकड़ जमीन पर 35 लाख या अधिकतम 50% अनुदान • तीसरी श्रेणी बेसिक मार्गीय सुविधा है। इसके लिए 7500 वर्गफुट जमीन की जरूरत होगी। दस लाख तक अनुदान मिलेगा • मौजूदा संचालित ढाबा, फुड ज्वाइंटस आदि पर 20 लाख व अधिकतम 50% तक अनुदान

तीन का हुआ था चयन : पहले चरण में तीन सत्कार केन्द्र को प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गई है। निर्धारित तिथि तक इन्हीं के आवेदन आए थे। इसमें गोपालगंज-मुजफ्फरपुर-दरभंगा-सुपौल-पूर्णिया-किशनगंज पर एक, पटना-आरा-रोहतास-कैमूर पर एक और मुजफ्फरपुर-मोतिहारी मार्ग पर एक सत्कार केन्द्र खुला है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 4.8.2023)**

राजेन्द्र नगर टर्मिनल समेत 3 स्टेशनों पर रेलयात्रियों के लिए खुलेंगे होटल

सर्कुलेटिंग एरिया या पास की खाली जमीन का होगा उपयोग

अब रेलयात्रियों को होटल खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। स्टेशन परिसर में थ्री स्टार होटल की सुविधा मिलेगी। बड़े स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया या पास की जमीन पर पीपीपी मोड पर होटल बनेगा। पूर्व मध्य रेल में सबसे पहले राजेन्द्रगर टर्मिनल, गया जंक्शन और मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इसकी सुविधा मिलेगी।

वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर डेवलप करने की योजना के तहत होटल बनाने के साथ ही अन्य काम होंगे। पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना है। इनमें दानापुर मंडल के राजेन्द्र नगर टर्मिनल और बक्सर स्टेशन शामिल हैं। गया स्टेशन को डेवलप करने पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे 2024 तक वर्ल्ड क्लास बनाने का लक्ष्य है। यहाँ निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर और राजेन्द्र नगर टर्मिनल पर अगस्त में शुरू होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से राजेन्द्र नगर टर्मिनल पर काम गति नहीं पकड़ रहा है। हालांकि यहाँ तीन लिफ्ट और दो एसकेलेटर लगाए गए हैं।

ये सुविधाएँ भी बहाल होंगी : • ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा। • मॉल और मल्टीपर्पस बिल्डिंग बनेगी • अंडरग्राउंड या मल्टीस्टोरी पार्किंग बनेगी • आसपास की सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा • सर्कुलेटिंग एरिया सुरक्षित जोन के तौर पर विकसित होगा • प्रवेश और निकास द्वार ऐसे होंगे कि भीड़ न हो • प्रत्येक प्लेटफार्म पर एसकेलेटर व लिफ्ट • खान-पान, वॉशरूम, पेयजल, एटीएम, इंटरनेट की सुविधा होगी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 1.8.2023)**

पूर्व-मध्य रेल के 57 स्टेशनों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएँ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 6.8.2023 रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉफ्रोंसिंग के माध्यम से 24.470 करोड़ रुपये की लागत से देश भर के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। इनमें पूमरे के 57 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें बिहार के 49 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इनके पुनर्विकास पर कुल 2584 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे एवं रेल एवं वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना

जरदोश एवं रेलवे बोर्ड के उच्चाधिकारीगण जुड़े हुए थे। भारतीय विविधता की भव्यता को प्रदर्शित करते हुए इन पुनर्विकसित स्टेशनों पर नई अत्याधुनिक यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। जिन 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गयी वे देश के 27 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में 55, राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात में 21, तेलंगाना में 21, झारखण्ड में 20, आंध्र प्रदेश में 18, तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं।

इस योजना के तहत पूर्व-मध्य रेल के कुल 57 स्टेशनों का विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया। इनमें सोनपुर मंडल के 10, समस्तीपुर मंडल के 12, दानापुर मंडल के 13, धनबाद के मंडल के 15 एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल के 07 स्टेशन शामिल हैं। इन 57 स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 2819 करोड़ की लागत आएगी।

किस स्टेशन पर किया जायेगा कितना खर्च : पूर्व-मध्य रेल के दानापुर मंडल के आरा स्टेशन का 27.89 करोड़ रुपए, बिहिया स्टेशन का 23. 13 करोड़ रुपए रघुनाथपुर स्टेशन का 20.50 करोड़ रुपए, डुमरांव स्टेशन का 17.13 करोड़ रुपए, दिलदार नगर स्टेशन का 21.16 करोड़ रुपए, जमुई स्टेशन का 23.36 करोड़ रुपए, जहानाबाद स्टेशन का 22.93 करोड़ रुपए, राजगीर स्टेशन का 21.20 करोड़ रुपए, बिहार शरीफ स्टेशन का 185.84 करोड़ रुपए, फतुहा स्टेशन का 32.73 करोड़ रुपए, बाढ़ स्टेशन का 23.38 करोड़ रुपए, बख्तियारपुर स्टेशन का 23.20 करोड़ रुपए तथा तारेगना स्टेशन का 19.23 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य किया जाना है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 7.8.2023)

हवाई अड्डों को आरामदायक व सहज बनाने की जरूरत, न की भव्य

महँगी हवाई यात्रा से राहत संभव संसदीय समिति ने की सिफारिश

आम आदमी को महंगे हवाई टिकट से राहत मिल सकती है। संसद की एक समिति ने सरकार को सिफारिश की है कि वह हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे का विकास में किफायती रहने की सिफारिश की है। इससे यात्रा की लागत कम होगी और यह आम आदमी की पहुँच के भीतर होगी। समिति ने हवाई अड्डों पर बेवजह गोल्ड प्लेटिंग (सोने की परत चढ़ाने) और हवाई यात्रा को महँगा बनाने की अवधारणा के खिलाफ मतदान करते हुए यह सिफारिश की।

'गोल्ड प्लेटिंग' से तात्पर्य ऐसे महँगी सुविधाओं को शामिल करने से है, जो किसी परियोजना की लागत को बढ़ा देता है, हालांकि उनका मूल सेवा से विशेष संबंध नहीं होता है। समिति ने राज्यसभा में पेश की गयी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत एक विकासशील देश है और यात्री कीमत को लेकर जागरूक हैं। हमारी राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति में सरकार द्वारा सामर्थ्य व स्थिरता पर जोर दिया गया है। समिति का मानना है कि अधिकतर लोग हवाई अड्डों का उपयोग केवल यात्रा करने, सामान 'चेक-इन' करने, आगमन पर अपना सामान लेने और अपने गंतव्य पर जाने के लिए करते हैं। अन्य बाह्य सेवाओं को यात्री सेवा जितना महत्व नहीं दिया जा सकता।

उपयोगिता शुल्क किफायती और प्रतिस्पर्धी रहना चाहिए – समिति

राज्यसभा सासंद सुजीत कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि इस क्षेत्र के अधिकतर हितधारक आम यात्री हैं, जिसकी हवाई यात्रा करने की आकांक्षा और आवश्यकता समय के साथ बढ़ती जा रही है। संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र के अन्य हवाई अड्डों की तुलना में उपयोगकर्ता शुल्क किफायती और प्रतिस्पधी रहना चाहिए।

परिचालन लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का हो इस्तेमाल : समिति ने कहा कि भारत एक सीमित संसाधन वाला देश है, और ऐसे में सरकार हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किफायती ढंग से कराये, परिचालन लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए।

हवाई अड्डों को आलीशान और खर्चिला बनाने की जरूरत नहीं : संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये सच है कि हवाई अड्डों के आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता अहम होती है क्योंकि यह देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विदेशी निवेश में अहम योगदान देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इन्हें आलीशान बनाने से बचना चाहिए। हवाई अड्डों के सभी टर्मिनल को आरामदायक व सहज बनाने की जरूरत है। उन पर सोने की परत चढ़ाकर अत्यधिक भव्य बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(साभार : प्रभात खबर, 7.8.2023)

सरिस्ताबाद से नत्थुपुर तक सड़क बनेगी, 774 करोड़ खर्च होंगे

पटना-गया-बोधगया एनएच से न्यू बाइपास जुड़ेगा, 2.8 किमी लंबी फोरलेन सड़क बनेगी

7 एजेंसियाँ आगे आईं, इसी माह इनमें से एक का चयन हो जाएगा

वर्षों का इंतजार खत्म • निर्माण की प्रक्रिया शुरू

पटना-गया-बोधगया एनएच-83 का कनेक्शन अब पटना बाइपास से हो जाएगा। पटना बाइपास (सरिस्ताबाद) से नत्थुपुर तक 2.8 किमी फोरलेन सड़क बनाने की योजना वर्षों से फंसी थीं। अब इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनएचएआई ने इसका टेंडर कर दिया है। यह सड़क सरिस्ताबाद 70 फीट रोड से 300 मीटर पश्चिम की तरफ बाइपास से निकलेगी और नत्थुपुर नारायणचक में बने रहे नत्थुपुर हाईवे जंक्शन तक जाएगी।

ये फायदे होंगे : • न्यू बाइपास के दक्षिण बसी 5 लाख आबादी को बड़ी राहत मिलेगी • पटना से गया-बोधगया और डोभी जाने वाली गाड़ियों को कहीं जाम नहीं झेलना पड़ेगा • डोभी में यह स्वर्णिम चतुर्भुज (कोलकाता-दिल्ली) राजमार्ग से जुड़ जाएगी • एन एच 83 डुमरी हॉल्ट के पास बिहटा-सरमेरा एसएच से जुड़ेगा और बोधगया में एनएच 83 बोधगया-बिहारशरीफ सड़क से मिल जाएगा।

जरूरत क्यों : अनीसाबाद, आरा, बक्सर और बख्तियारपुर, मोकामा की तरफ जाने के लिए कोई कनेक्शन ही नहीं

पटना के बेउर गाँव से 3.5 किमी दक्षिण-पूरब नत्थुपुर नारायणचक में 127 किमी लंबाई वाला पटना गया-बोधगया एनएच खत्म हो रहा है। जहाँ गोलंबर बन रहा है। ऐसे में यह 2.8 किमी सड़क नहीं बनेगी तो पटना बाइपास होते बख्तियारपुर-मोकामा की तरफ या अनीसाबाद-आरा-बक्सर की तरफ जाने के लिए अभी कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए नत्थुपुर हाईवे जंक्शन से वर्तमान पटना बाइपास को जोड़ने के लिए ही इस 2.8 किमी लंबे हाईवे का निर्माण हो रहा है।

मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड जुड़ेगी : मीठापुर-महुली एलिवेटेड का एक फ्लैंक परसा बाजार में जा रहा है। इस कारण पूरे इलाके में गाड़ियों का फ्लो बढ़ने से जाम की स्थिति पहले से अधिक हो जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक सामान्य रखने के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने तैयारी चल रही है।

पाटलिपुत्र बस टर्मिनल पहुँचना होगा आसान : परसा से संपतचक के बीच रोड की चौड़ाई बढने के बाद लोग आसानी से मसौढ़ी रोड (एसएच-1) पर पहुँच सकेंगे। यहाँ से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल जाम मुक्त सफर कर सकेंगे।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 5.8.2023)

शस्त्र लाइसेंस पोर्टल को अद्यतन नहीं करने पर सख्ती

• लाइसेंस के चेकलिस्ट का पालन करने को कहा • गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को दिया निर्देश

गृह विभाग ने शस्त्र लाइसेंस पोर्टल को अद्यतन नहीं करने पर जिलों से जानकारी मांगी है। गृह विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित शस्त्र लाइसेंस पोर्टल को अद्यतन करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के गृह विभाग को पत्र लिखकर शस्त्र लाइसेस के ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। इससे कहा गया है कि शस्त्र लाइसेंस के केन्द्रीय पोर्टल पर बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि आवेदनों का ऑफलाइन निबटारा हो रहा है। मगर इनकी ऑनलाइन इंट्री नहीं की जा रही है।

इस पत्र के बाद, राज्य के गृह विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान आकृट कराया है। सभी जिलों में शख लाइसेंस पोर्टल को अद्यतन करने और शस्त्र लाइसेंस जारी करने से पहले चेकलिस्ट का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में गृह विभाग से शस्त्र लाइसेंस के प्रभारी नोडल अधिकारियों का नाम और पूरा पता अद्यतन का भी निर्देश दिया है। (साभार : हिन्दुस्तान, 3.8.2023)

पथ विकास निगम के साथ हुई बैठक में एशियन विकास बैंक ने दी सैद्धांतिक सहमति

10 सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार को 5100 करोड़

बिहार में 10 सड़क परियोजनाओं के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। इन सड़कों के निर्माण के लिए बिहार को एडीबी (एशियन विकास बैंक) से 51 सौ करोड़ (451 मिलियन अमेरिकन डॉलर) का कर्ज मिलेगा। बुधवार दिनांक 02.08.2023 को बिहार राज्य पथ विकास निगम के साथ हुई बैठक में एडीबी ने बिहार को कर्ज देने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब एडीबी से कर्ज लेने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अभी एडीबी का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बिहार दौरे पर है। टीम के कार्यकारी निदेशक समीर कुमार खरे के नेतृत्व में आए इस शिष्टमंडल ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें अन्य विभागों के अलावा पथ विकास निगम के अधिकारी भी शामिल थे। निगम के अधिकारियों ने एडीबी के शिष्टमंडल को बताया कि जनहित में राज्य की 10 सड़क परियोजनाओं पर काम किया जाना जरूरी है। कुल 482 किलोमीटर सड़क परियोनाओं के लिए 5153 करोड़ की आवश्यकता है। अगर कर्ज के रूप में यह राशि मिल जाए तो सडक निर्माण में आसानी होगी, जिसका लाभ बिहार के लोगों को होगा।

पथ विकास निगम के प्रस्ताव पर एडीबी के अधिकारियों ने सहमति जताई। साथ ही उन्हें कर्ज लेने के लिए औपचारिक प्रक्रिया करने का सुझाव दिया।

इन सड़कों का होगा निर्माण

सड़क	किमी	लागत (करोड़ में)
बाणगंगा-जेठिया-गहलौर-बिदौस	41.60	407.46
धौरिया-इंगलिश मोड़-असरगंज	58	595.78
गणपतगंज-पवराहा	53.50	644.04
मधुबनी-राजनगर-बाबूबरही-खुटौना	41.10	511.07
सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी	51.35	517.05
छपरा-माझी-दरौली-गुठनी	71.60	684.22
आरा-एकौना-खैरा-सहार	32.30	322.35
इटरही-बक्सर-कुकुराहा-धर्मपुरा-समदा	80	792.50
जाले-घोघराचट्टी	31.70	449.56
हथौरी-औराई रोड पर पुल सह सड़क	21	228.99
कुल	**482.15**	**5153.11**

नमामी गंगे समेत कई योजनाओं का लिया जायजा

• टीम ने मुख्य सचिव के साथ बैठक की • प्रदूषित जल साफ करने के प्रयासों के बारे में जाना

पटना आई एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) की टीम ने मुख्य सचिव के साथ बैठक की। इस दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इस विभाग की एडीबी पोषित मुख्य रूप से नमामि गंगे योजना ही चल रही है। शेष योजनाएँ समाप्त हो गई हैं, जिसमें भागलपुर और गया में पानी सप्लाई की योजनाएँ शामिल थी। नमामि गंगे योजना मुख्य रूप से केन्द्र सरकार से अनुदानित योजना है, लेकिन बिहार में इसके अंतर्गत चल रहे कार्यों का जायजा टीम ने लिया। एसटीपी निर्माण की स्थिति और गंगा में गिरने वाले प्रदूषित जल को साफ करने को लेकर प्रयासों के बारे में जानकारी ली। एसटीपी निर्माण के कार्य को जल्द पूरा करने की सलाह दी। इस टीम में एडीबी के एक्जिक्यूटिव निदेशक समीर खरे समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.8.2023)

डिजिलॉकर से आधार लिंक जरूरी

• 5 अगस्त से पासपोर्ट बनवाने को नया नियम • फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए बदला नियम

पासपोर्ट बनवाने के लिए अब आधार कार्ड का डिजिलॉकर से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार पाँच अगस्त से नया नियम लागू हो जाएगा। पहले लोग फर्जी आधार के जरिये पासपोर्ट बनवाते थे। इसे रोकने के लिए यह बदलाव किया गया है। अब लोगों को आधार कार्ड के सत्यापन के लिए पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। उसे डिजिलॉकर से ही सत्यापित कर लिया जाएगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं वैसे लोगों के लिए 21 प्रकार के दास्तवेजों की सूची जारी की गई है।

उसमें से कोई एक प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जन्मतिथि का प्रमाण देने के लिए पाँच प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक दे सकेंगे। पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया का सरल करने का प्रयास किया गया है। निर्बाध सत्यापन के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र व अन्य प्रमाण पत्र को डिजिलॉकर पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

पासपोर्ट के लिए ये प्रमाण-पत्र जरूरी : जन्म व मृत्यु पंजीयन आधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड व संस्थान द्वारा जारी विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र, मैट्रिक प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पुराने पासपोर्ट में वर्णित जन्म तिथि और एलआईसी द्वारा जारी पॉलिसी बांड की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य किया गया है।

"डिजिलॉकर से आधार कार्ड लिंक होने से फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगी आवेदक आवेदन करते समय संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें और डिजिलॉकर प्रक्रिया को पूरा करें।" **ताविशी बहल पांडेय**, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.8.2023)

आईटीआर की संख्या 6.50 करोड़ के पार

31 जुलाई शाम छह बजे तक 36.91लाख से अधिक लोगों ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है। इससे आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने वालों की कुल संख्या 6.50 करोड़ हो गई है।

पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, कल (30 जुलाई) तक 6.13 करोड़ # आईटीआर दाखिल किए गए हैं। आज (31 जुलाई) शाम छह बजे तक 36.91 लाख आईटीआर दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने वालों से कहा है कि अगर उन्हें किसी सहायता की जरूरत हो तो वे orm@cpc.incometax.gov.in पर संपर्क करें।

अपना स्टेटस ऐसे देखें : जिन लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, उन्हें 20-25 दिनों में अपना रिफंड मिल सकता है। अपना आईटीआर जाँचने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें :-

• आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएँ, यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि/निगमन तिथि और कैप्चा के साथ लॉगिन करें • माय एकाउंट पर जाएँ, रिफंड/डिमांड स्टेटस को चेक करें। (साभार : हिन्दुस्तान, 1.8.2023)

बिना वैध दस्तावेज के दत्तक को कानूनी मान्यता नहीं

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गोद लिए गए व्यक्ति (दत्तक) को गोद लेने को साबित करने वाले वैध दस्तावेज के अभाव में कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने एक महिला (याचिकाकर्ता) द्वारा उसे कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 18.08.2023)

घर बैठे देख सकेंगे खतियान रैयत को नहीं होगी थकान

आनेवाले समय में एक क्लिक पर जमीन से जुड़ी तमाम जानकारी मिल जाएगी। उन्हें खतियान की नकल के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। रखे-रखे बर्बाद हो चुके खतियान को भी डिजिटाइज किया जाएगा। फिलहाल पटना में दस्तावेजों की स्कैनिंग की जा रही है। इसके बाद डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।

सात सौ फोल्डरों की हो रही स्कैनिंग : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्देश दिया है कि नष्ट हो चुके दस्तावेजों को रजिस्टर टू से मिलान कर आनलाइन करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी है। खतियान व जमाबंदी आनलाइन होने से भूमि विवाद के मामलों में भी काफी कमी आएगी।

खतियान देखने के लिए नहीं करनी होगी मशक्कत : जिले के रिकार्ड रूम में रखे-रखे हजारों खतियान नष्ट होने की कगार पर पहुँच चुके हैं। ऐसे रैयतों को जमीन की जमाबंदी कराने के लिए खतियान की नकल नहीं मिल पाती है तब उन्हें अंचल कार्यालय का रजिस्टर टू खंगालना पडता है। इस प्रक्रिया में काफी परेशानी होती है। लेकिन सबकुछ आनलाइन होने के बाद रैयतों को घर बैठे खतियान देखने में सुविधा होगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 4.8.2023)**

नगर निगम का 'मेरी सड़क-मेरी जवाबदेही' अभियान शुरू, गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगेगा

पटना में 'सड़क शत्रु' की खैर नहीं

पटना नगर निगम के 'मेरी सड़क-मेरी जवाबदेही' अभियान की शुरूआत हुई। साथ ही निगम के सभी 75 वार्डों में सड़कों की सफाई शुरू हो गई। जो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को अब निगम 'सड़क शत्रु' का दर्जा देगा। पीरमुहानी में आयोजित कार्यक्रम में महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी चंद्रवंशी, नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर और वार्ड 38 के पार्षद आशीष कुमार सिन्हा ने इस मुहिम का शुभारंभ किया। शहर को स्वच्छ रखने वाले निगम के सफाई मित्रों को इस दौरान सम्मानित किया गया। महापौर सीता साहू ने कहा कि स्वच्छता सर्वे 2023 में पटना को पहली रैंक दिलाने के लिए सभी शहरवासियों को आगे आना होगा। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि सड़कों को साफ रहना है तो पहले खुद को बदलना होगा। अगर लोग नहीं बदलेंगे तो नगर निगम ऐसे लोगों को सड़क शत्रु का दर्जा देगा और उन पर 500 रुपऐ का आर्थिक दंड लगेगा।

सफाई मित्र हुए चयनित : शहर की सभी सड़को की सफाई के लिए प्रत्येक सड़क पर सफाई मित्र चयनित कर उनकी जवाबदेही तय की गई है। सफाई मित्रों का नाम और मोबाइल नंबर भी सड़क पर एक चिहिनत स्थल प्रदर्शित किया गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.8.2023)**

राज्य में साइबर अपराधी एक बार फिर सक्रिय, मुख्यालय ने ईओयू को लिखा पत्र, ठगों का नंबर उपलब्ध कराया

उपभोक्ता ध्यान दें.... बैलेन्स शून्य होने पर भी रात में बिजली नहीं काटती कंपनी मोबाइल पर कटने का मैसेज आने पर कंपनी की हेल्पलाइन 1912 पर संपर्क करें

राज्य में एक बार फिर साइबर अपराधी सक्रिय ही गए है। बिजली उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर रात में बिजली कटने का मैसेज भेज रहे है। इसको लेकर बिजली कंपनी मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को पत्र लिखा है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएसडी संजीव हंस ने कहा कि साइबर ठगों के एक बार फिर सक्रिय होने के संबंध में आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखा गया है। मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा एडीजी नैय्यर हसनैन खान को साइबर ठगों के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को मैसेज किए जाने वाले नंबरों की सूची उपलब्ध करायी गई है। इन नंबरों को ब्लॉक करने, साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चला कर नकेल कसने का अनुरोध किया गया है।

बिल अपडेट, मीटर रिचार्ज के नाम पर मैसेज भेज रहे : साइबर अपराधी बिल अपडेट, मीटर रिचार्ज, बिजली कटने के नाम पर मैसेज भेज रहे है। ये मैसेज रजिस्टर्ड नंबर के अलावे अन्य नंबरों पर भी आ रहा है। जबकि बिजली कंपनी उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही मैसेज भेजती है। सीनियर प्रोटोकॉल अधिकारी ख्वाजा जमाल ने कहा कि किसी तरह की आशंका होने पर उपभोक्ता अपने निकट के बिजली कार्यालय या बिजली कंपनी के हेल्प लाइन 1912 में संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया और मैसेज के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 31.8.2023)**

उद्योग विभाग कुशल कामगारों का बनायेगा डेटा बैंक

उद्योग विभाग ने बिहार और दूसरे राज्यों में काम कर रहे बिहार के कुशल मजदूरों से आग्रह किया है कि वह अपने संदर्भ में समूची जानकारी बिहार के उद्योग विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। इसके लिए आवेदन करने के लिए कहा है।

विभाग ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट और विशेष एप के जरिये मांगी है। विभाग ने अपना एप विकसित किया है। इसकी सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के लिए साझा की है।

(साभार : प्रभात खबर, 5.8.2023)

वीडियो कॉल के जरिए खराब उत्पाद की शिकायत कर सकेंगे

• 7 लाख से ज्यादा शिकायतें आती हैं हर साल उपमोक्ता मामलों के मंत्रालय के पास • 50 फीसदी शिकायतें फोन हेल्पलाइन पर आती हैं • 90 फीसदी शिकायतों का निपटारा हेल्पलाइन के जरिए ही होता है

खराब उत्पाद और सेवाओं की शिकायत करना और आसान होने जा रहा है। खाद्य पदार्थ पर लगने वाले लेबल या क्यूआर कोड के माध्यम से उपभोक्ता सीधे कंपनी के प्रतिनिधि से वीड़ियो कॉल के जरिए संपर्क साधकर कोई भी जानकारी या सवाल पूछ सकेंगे। कई कंपनियों ने इस सुविधा पर काम करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में वह उपलब्ध हो जाएगी।

सरकार के सख्त दिशा-निर्देश : गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने कंपनियो को दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर ऐसे लेबल लगाए जाएं जो सरल और पढ़ने लायक हो। इसके बाद से उत्पादों की लेबलिंग में तेजी से सुधार हुआ है। बड़े ब्रांड अपने पैकेट में क्यूआर कोड छाप रहे हैं, जिसको स्कैन करने से खाद्य पदार्थ के उत्पादन और उपयोग की गई सामग्री की मात्रा की जानकारी मिल जाती है। हालांकि, अब भी कई उत्पादों में स्पष्ट जानकारी नहीं लिखी रहती है।

उपभोक्ता के पास शिकायत करने के ये भी विकल्प : • **हेल्प-लाइन नंबर :** राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर : 1800-11-4000 या 1915 पर संपर्क किया जा सकता है • **एसएमएस :** मोबाइल नंबर 880001915 पर एसएमएस भेजकर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के पास शिकायत की जा सकती है • **मोबाइल ऐप :** उपभोक्ता उमंग एप के जरिए भी उत्पाद और कंपनी की शिकायत दे सकता है • वेबसाइट : सरकारी वेबसाइट (https://consumerhelpline.gov.in) पंजीकरण करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 29.8.2023)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296